वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2015-16

ISPRL

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
(ओ.आई.डी.बी. की पूर्ण स्वामित्व की सहायक कम्पनी)
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार

INDIAN STRATEGIC PETROLEUM RESERVES LIMITED
(A wholly owned subsidiary of OIDB)
Ministry of Petroleum & Natural Gas, Govt. of India

विषय सूची
CONTENTS

1.	बोर्ड के निदेशक Board of Directors	**02** 59
2.	निदेशक रिपोर्ट Directors' Report	**04** 61
3.	स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट Independent Auditor's Report	**22** 79
4.	सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट Secretarial Audit Report	**32** 89
5.	वार्षिक लेखे **2015–16** Annual Accounts 2015-16	**37** 94
6.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां Comments of Comptroller & Auditor General of India (C&AG)	**58** 114

निदेशक मंडल

श्री सौरभ चन्द्रा	अध्यक्ष	(30.04.2015 तक)
श्री के.डी. त्रिपाठी	अध्यक्ष	(17.07.2015 से)
डा. एस.सी. खुंटिआ	निदेशक	(15.06.2015 तक)
श्री अनंत कुमार सिंह	निदेशक	(08.10.2015 से)
श्री ए.पी. साहनी	निदेशक	(28.03.2015 से)
श्री यू.पी. सिंह	निदेशक	(07.03.2016 तक)
श्री एल.एन. गुप्ता	निदेशक	(05.06.2015 तक)
श्री संजीव मित्तल	निदेशक	(29.03.2016 से)
श्री संदीप पौण्डरीक	निदेशक	(12.01.2015 से)
श्री राजन के. पिल्लै	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	(25.02.2014 से)
श्रीमती संगीता गैरोला	स्वतंत्र निदेशक	(28.03.2015 से)
श्री एस.बी. अग्निहोत्री	स्वतंत्र निदेशक	(28.03.2015 से)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक
श्री राजन के पिल्लै

कंपनी सचिव
श्री अरूण तलवार

सांविधिक लेखा परीक्षक
मैसर्स पुरूषोथमन भूटानी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

बैंकर्स
कार्पोरेशन बैंक
एम–41, कनॉट सर्कस,
नई दिल्ली 110 001

पंजीकृत कार्यालय
301, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तृतीय तल, बाबर रोड़,
नई दिल्ली–110 001

प्रशासनिक कार्यालय
ओ.आई.डी.बी, भवन, तीसरी मंजिल, प्लॉट न. 2, सैक्टर – 73, नोएडा–201301, उ.प्र.
फोन : 91–120–2594641, फैक्स : 91–120–2594643
वेब साईट : www.isprlindia.com
ई–मेल : isprl@isprlindia.com

विशाखापटनम् परियोजना कार्यालय
लोवागार्डन, एच.एस.एल. फैब्रिकेशन यार्ड के पीछे,
गाँधीग्राम पोस्ट, विशाखापटनम्–530 005
फोन : 0891–2574059

मंगलौर परियोजना कार्यालय
स्ट्रेटेजिक स्टोरेज ऑफ क्रुड आयॅल प्रोजेक्ट,
चन्द्राहास नगर, कलावर पोस्ट, वाया बाजपे
मंगलूरू–574142, फोन : 0824–6066100

पादुर परियोजना कार्यालय
पीओ : पादुर, वाया कापू, जनपद उडुपी–574 106
फोन : 0820–6560003

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,
शेयरधारकगण,
इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु कंपनी के कार्यकरण के संबंध में 12वीं वार्षिक रिपोर्ट और उसके साथ लेखे का लेखापरीक्षित विवरण तथा तत्संबंधी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को सहर्ष प्रस्तुत करता है।

वित्तीय परिणाम

31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु आपकी कंपनी के वित्तीय परिणामों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

क्र.सं	विवरण	आंकड़े लाखों में		तुलन पत्र का संदर्भ
(क)	1 अप्रैल, 2015 के अनुसार प्रगति पर कार्य का प्रारंभिक शेष		322,626,54	टिप्पणी 9ख – 31.03.2015 के अनुसार अंतिम शेष
(ख)	वर्ष के दौरान प्रचालन – पूर्व व्यय (वाईजैग परियोजना का वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान पूंजीकृत किया गया)		(80,257.12)	टिप्पणी 9ख – 31.03.2016 को अंतिम शेष और 31.03.2015 को अंतिम शेष के मध्य अंतर
(ग)	अचल परिसंपत्तियों में वृद्धि		84,633.46	टिप्पणी 9क – वर्ष के दौरान निवल वर्धन
(घ)	निवल गैर–वर्तमान परिसंपत्तिया {(i)-(ii)}		1231.19	
	(i) गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां (दीर्घावधि ऋण और अग्रिम)	2285.98		टिप्पणी 10
	(ii) गैर–वर्तमान देयताएं	1054.79		टिप्पणी 5
(ड़)	निवल वर्तमान देयताएं {(i)-(ii)}		(298.58)	
	(i) वर्तमान परिसंपत्तियां	8141.97		तुलन पत्र– वर्तमान परिसंपत्तियां
	(ii) वर्तमान देयताएं	8440.55		तुलन पत्र– वर्तमान देयताएं
(च)	संचित हानि		(6066.01)	टिप्पणी 4 – आरक्षित और अधिशेष
कुल (क+ख+ग+घ+ड़+च)			**3,21,869.48**	

निष्पादन समीक्षा

आपकी कंपनी को 5.33 एमएमटी कच्चे तेल भण्डारण स्थानों को स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है (हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के साथ साझा किए जाने वाले 0.30 एमएमटी सहित)। सामरिक भण्डारों के सृजन हेतु चयन किए गए स्थल विशाखापट्टनम (1.33 एमएमटी), मंगलौर (1.5 एमएमटी) और पादुर (2.5 एमएमटी) हैं। सामरिक भण्डारण सुविधाओं के निर्माण हेतु पूंजी लागत मूल रूप से सितम्बर, 2005 मूल्यों पर 2,397 करोड़ रूपये अनुमानित की गई थी। विशाखापट्टनम हेतु संशोधित लागत अनुमान (आरसीई) के लिए अनुमोदन जून, 2011 तथा उसके बाद फरवरी, 2015 में दोबारा प्राप्त किया गया था। मंगलौर तथा पादुर हेतु

आरसीई नवम्बर, 2013 में अनुमोदित की गई थी। 3 स्थलों हेतु आरसीई इस प्रकार है : विशाखापट्टनम रूपये1,178.35 करोड़ मंगलौर रूपये1,227 करोड़ और पादुर रूपये1,693 करोड़। इस प्रकार परियोजनाओं की कुल संशोधित लागत 4098.35 करोड़ रूपये होती है। भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार पूंजीगत लागत को ओआईडीबी के पास उपलब्ध विद्यमान निधियों से पूरा किया जाएगा, सिवाय विशाखापट्टनम में 0.3 एमएमटी कंपार्टमेंट हेतु, जिसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अनुपातिक लागत साझेदारी आधार पर ग्रहण किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया था कि सामरिक भण्डारों की संचालन तथा अनुरक्षण लागत को भारत सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा। भारत सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012–17 में खनिज तेल भरने की लागत के प्रति 4,948 करोड़ रूपये आवंटित किए हैं।

आपकी कंपनी ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न पहलें किए हैं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड सभी परियोजनाओं हेतु पीएमसी है। परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है :

1. विशाखापट्टनम (भण्डारण क्षमता : 1.33 एमएमटी)

बोर्ड सदस्यों को यह सहर्ष सूचित करता है कि विशाखापट्टनम केवर्न को चालू कर लिया गया है। भूमिगत सिविल कार्य एचसीसी द्वारा और प्रक्रिया सुविधाएं आईओटीआईईएसएल द्वारा निष्पादित किये गये थे। इस सुविधा में दो कंपार्टमेंट हैं केवर्न ए (1.03 एमएमटी) और केवर्न बी (0.3 एमएमटी)। केवर्न ए सामरिक खनिज तेल हेतु है और इसे भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई निधियों से भरा गया है। एचपीसीएल विशाखापट्टनम में अपने रिफाइनरी प्रचालनों हेतु नियमित रूप से केवर्न बी का उपयोग कर रही है।

विशाखापट्टनम में भूमि के ऊपर बनाई गई सुविधाओं का दृश्य

2. मंगलौर (भण्डारण क्षमता :1.5 एमएमटी)

मंगलौर केवर्न सुविधा मंगलौर एसईजेड क्षेत्र में आती है। परियोजना हेतु एमएसईजेडएल से 104.73 एकड़ भूमि प्राप्त की गई थी। भूमिगत सिविल कार्यों को मैसर्स एसके इंजीनियरिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन और करम चन्द थापर

(एसकेईसी–केसीटी जेवी) के संयुक्त उद्यम और प्रक्रिया सुविधाएं मैसर्स पुंज लायड द्वारा निष्पादित किये गये थे। भूमिगत सिविल कार्यों को पूरा कर लिया गया है और प्रक्रिया सुविधाएं भी पूर्णता कर ली गई हैं। सुविधा में 0.75 एमएमटी के प्रत्येक 2 कंपार्टमेंट हैं। केवर्न स्वीकृति परीक्षण (सीएटी) को पूरा कर लिया गया है। उक्त के पश्चात ईआईएल ने केवर्न कंपार्टमेंटों में धारण में सुधार हेतु अतिरिक्त बोरहोल की ड्रिलिंग का परामर्श दिया है। जिसको को पूरा कर लिया गया है।

केवर्न का इनर्टाइजेशन प्रगति पर है और चालू किए जाने से पूर्व की जांचे की गई है।

समग्र भौतिक प्रगति 99.72 % है। प्रगति में पाइपलाइन की प्रगति शामिल नहीं है।

परियोजना को अंतिम रूप से चालू किया जाना मंगलौर बंदरगाह के निकट लैंड फॉल बिंदु से मंगलौर केवर्न तक एक मध्यवर्ती वाल्व स्टेशन के माध्यम से 48'' पाइपलाइन को बिछाए जाने तथा अतिरिक्त बोरहोल पूर्ण किए जाने पर निर्भर है। 12.725 किलोमीटर पाइपलाइन में से, 12.69 किलोमीटर को पूरा कर लिया गया है तथा शेष को अप्रैल, 2016 तक पूरा किए जाने का कार्य कार्यक्रम है। परियोजना को उसके पश्चात चालू किए जाने की प्रत्याशा है।

मंगलौर में भूमि के ऊपर बनाई गई सुविधाओं का दृश्य

3. पादुर (भंडार क्षमता : 2.5 एमएमटी)

पादुर परियोजना हेतु उडूपी जिले के पादुर/हेरूरू गांवों में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) के माध्यम से 179.21 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था। यह आईएसपीआरएल द्वारा निष्पादित सबसे बड़ी परियोजना है। भूमिगत सिविल कार्यों को दो भागों में बांटा गया था अर्थात भाग क तथा भाग ख। भाग–क कार्य को मैसर्स एचसीसी और भाग–ख कार्यों को मैसर्स एसकेईसी–केसीटी संयुक्त उद्यम को दिया गया था। भूमिगत कार्य 2014 में पूर्ण हुए थे और केवर्न स्वीकृति परीक्षण भी पूर्ण हो गए हैं। सुविधा में 0.625 एमएमटी के प्रत्येक 4 कंपार्टमेंट हैं। केवर्नों का इनर्टाइजेशन पूर्ण हो गया है। परियोजना की अंतिम पूर्णता 10 किलोमीटर लम्बी

110केवीए की ओवरहेड विद्युत ट्रांसमीशन लाइन और साथ ही साथ मध्यवर्ती वाल्व स्टेशन से पादुर तक एक 42'' व्यास वाली 36 किलोमीटर पाइपलाइन को बिछाए जाने पर निर्भर करेगी। 35.8 किलोमीटर में से 8.49 किलोमीटर जमीन के नीचे किया गया है। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन और पाइपलाइन का बिछाया जाना आरओयू मुद्दों के कारण प्रभावित हुआ है। 110 केवी एचटी लाइन हेतु लगाए जाने वाले 56 टावरों में से, 25 को खड़ा कर दिया गया है तथा 54 टावरों की नींव पूरी हो चुकी है। शेष नींव डालने का कार्य कर्नाटक उच्च न्यायालय में दायर किए गए आरओयू मुद्दों के कारण स्थगित है। परियोजना को चालू किया जाना विद्युत लाइन तथा पाइपलाइन की पूर्णता पर निर्भर है। परियोजना को 110केवी एचटी लाइन तथा 42'' व्यास वाली खनिज तेल पाइपलाइन को पूरा होने के पश्चात चालू किया जाएगा। पाइपलाइन प्रगति सहित परियोजना की समग्र प्रगति 98.12 % है।

पादुर में भूमि के ऊपर बनाई गई सुविधाओं का दृश्य

4. सामरिक भण्डार कार्यक्रम का चरण–2

दिसम्बर, 2008 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित एकीकृत ऊर्जा नीति (आईईपी) सिफारिश करती है कि सामरिक सह सुरक्षित भंडार के प्रयोजनों हेतु 90 दिवस के तेल आयात के समतुल्य एक भण्डार को बनाया रखा जाए। दिसम्बर, 2009 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा तैयार एक एप्रोच पेपर में वर्ष 2019–20 तक खनिज तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के 44.14 मिलियन मीट्रिक टन की कुल भण्डारण आवश्यकता को दर्शाया गया था।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से निर्देश के आधार पर, आईएसपीआरएल को चार राज्यों में चरण–2 में कच्चे तेल के 12.5 एमएमटी के सामरिक भण्डारण हेतु विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (डीएफआर) को तैयार करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। चुने गए स्थल राजस्थान में बीकानेर, ओडीशा में चांदीखोल, गुजरात में राजकोट और कर्नाटक में पादुर है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) को डीएफआर तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। ईआईएल द्वारा डीएफआर तैयार की जा चुकी है जिसमें संशोधित क्षमताएं निम्नानुसार हैं :–

i. पादुर 2.5 एमएमटी,
ii. चांदीखोल 3.75 एमएमटी,
iii. राजकोट 2.5 एमएमटी और
iv. बीकानेर 3.75 एमएमटी।

बाद में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ–साथ एसबीआई कैप्स को चरण–2 कार्यक्रम के क्रियान्वयन के तरीके की सिफारिश करने हेतु नियोजित करने का आईएसपीआरएल को परामर्श दिया था। निवेशकों के साथ बैठक 8–9 जून, 2015 को हुई थी जिसमें विभिन्न तेल तथा आधारभूत ढांचागत कंपनियों ने प्रतिभागिता की थी। एसबीआई कैप्स की सिफारिशें प्राप्त हुई और उन्हें पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को अवगत कर दिया गया था।

लाभांश

आपके निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु किसी लाभांश की सिफारिश नही की है।

सार्वजनिक जमा

आपकी कंपनी ने 31 मार्च, 2016 के अनुसार जनता से कोई सावधि जमा आमंत्रित, स्वीकृत अथवा नवीकृत नहीं किया है और तदुनसार उसके संबंध में कोई मूलधन या ब्याज बकाया नहीं है।

लेखापरीक्षा समिति

बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है। 31 मार्च, 2016 के अनुसार लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे :

(i) श्री ए.पी.साहनी, अपर सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय / निदेशक, आईएसपीआरएल : अध्यक्ष

(ii) श्रीमती संगीता गैरोला, स्वतंत्र निदेशक : सदस्य

(iii) श्री एस.बी. अग्निहोत्री, स्वतंत्र निदेशक : सदस्य

नामांकन और पारिश्रमिक समिति

निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसार नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। 31 मार्च, 2016 के अनुसार नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे :

(i) श्री संदीप पौण्डरिक, संयुक्त सचिव (आर), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय : अध्यक्ष

(ii) श्रीमती संगीता गैरोला, स्वतंत्र निदेशक : सदस्य

(iii) श्री एस.बी. अग्निहोत्री, स्वतंत्र निदेशक : सदस्य

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया है। 31 मार्च, 2016 के अनुसार कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे :

(i) श्री ए.पी.साहनी, अपर सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय / निदेशक, आईएसपीआरएल : अध्यक्ष

(i) श्री संदीप पौण्डरिक, संयुक्त सचिव (आर), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय : सदस्य

(iii) श्रीमती संगीता गैरोला, स्वतंत्र निदेशक : सदस्य

चूंकि कंपनी ने पिछले 3 वित्त वर्षों के दौरान कोई लाभ अर्जित नहीं किया है, कंपनी ने सीएसआर क्रियाकलापों पर कोई राशि व्यय नहीं की है।

वार्षिक रिटर्न का उद्धरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के अनुपालन में, जिसे कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के साथ पढ़ा जाता है, वार्षिक रिटर्न का एक उद्धरण फार्म सं. एमजीटी–9 में **अनुबंध–क** के रूप में संलग्न है।

बोर्ड की बैठकें

कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2015–16 में 4 बैठकें की जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(i) 23 जुलाई, 2015

(i) 24 सितंबर, 2015

(i) 14 दिसम्बर, 2015

(iv) 28 मार्च, 2016

व्यापार की प्रकृति में परिवर्तन

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान व्यापार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं।

आरक्षित को अंतरण

कंपनी के आरक्षितों को किसी राशि का स्थानान्तरण नहीं किया गया है।

कर्मचारियों के ब्यौरे

कंपनी में ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जिसके संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013, जिसे कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के साथ पढ़ा जाता है, के प्रावधानों के अंतर्गत विवरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

सभी स्वतंत्र निदेशकों द्वारा यह घोषणा दी गई है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उप धारा 6 के अंतर्गत निर्दिष्ट सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

बोर्ड का कार्य–निष्पादन मूल्यांकन

आईएसपीआरएल के अध्यक्ष और अधिकांश निदेशकों का मूल्यांकन पहले ही सरकार द्वारा अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। आईएसपीआरएल किसी अन्य सरकारी कंपनी के समान ही नियंत्रक

एवं महालेखापरीक्षक (सी एण्ड एजी) लेखापरीक्षा के भी अधीन है। आईएसपीआरएल ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय से सरकारी कंपनियों के समान ही आईएसपीआरएल के निदेशकों के कार्य–निष्पादन मूल्यांकन को छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है।

जोखिम प्रबंधन

वर्ष 2015–16 के दौरान, आईएसपीआरएल द्वारा क्रियान्वित की जा रही मंगलौर और पादुर परियोजनाएं निर्माण चरण में थी। परियोजनाओं को टर्न–की आधार पर संविदाकारों के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा था। संविदा के अनुसार संविदाकारों से अपने उपकरणों तथा जनशक्ति आदि और अपने क्रियाकलापों के कारण तृतीय पक्ष जोखिम सहित जोखिमों को कवर करने की अपेकक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, स्थापन संबंधी कार्यों हेतु आईएसपीआरएल ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से बीमा कवर लिया है।

विशाखापट्टनम सुविधाओं हेतु, जोखिमों को एचपीसीएल की मेगा जोखिम पॉलिसी के अंतर्गत कवर किया गया है। भंडारण किए गए समप्रभुत्वी वाले खनिज तेल को नेशनल इंश्योकरेन्सर कंपनी के साथ मानक अग्नि तथा सभी जोखिम पॉलिसी के अंतर्गत कवर किया गया है।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल द्वारा निम्नलिखित को पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में पदंकित किया गया था :

क) कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक – श्री राजन के.पिल्लै

ख) मुख्य वित्तीय अधिकारी – श्री एस.आर. हस्यागर

ग) कंपनी सचिव – श्री अरूण तलवार

निदेशकों का पारिश्रमिक

आईएसपीआरएल के बोर्ड में सभी निदेशक पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा नामित पदेन निदेशक होते हैं सिवाय सीईओ एवं एमडी और स्वंतंत्र निदेशकों के। केएमपी सहित कंपनी के अन्य अधिकारी तेल क्षेत्र पीएसयू से प्रतिनियुक्ति पर हैं। नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिशों पर बोर्ड ने सीईओ एवं एमडी के पारिश्रमिक तथा नियुक्ति की अन्य शर्तों को अनुमोदित किया है। आईएसपीआरएल के सीईओ एवं एमडी तथा स्वतंत्र निदेशकों को दिए गए पारिश्रमिक को इस रिपोर्ट के अनुबंध–I में दिया गया है।

भौतिक परिवर्तन तथा प्रतिबद्धताएं

ऐसे कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हैं जो तुलन–पत्र से संबंधित कंपनी के वित्त–वर्ष के समापन के पश्चात तथा रिपोर्ट की तिथि के मध्य हुए हों।

कंपनी की चालू स्थिति और भविष्य में कंपनी के प्रचालनों को प्रभावित करने वाले नियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण तथा भौतिक आदेशों के ब्यौरे

कंपनी की चालू स्थिति और भविष्य में कंपनी के प्रचालनों को प्रभावित करने वाले किसी महत्वपूर्ण तथा भौतिक आदेश को नियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा पारित नहीं किया गया था।

अनुषंगी कंपनी / संयुक्त उद्यम / एसोसिएट कम्पनी

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी की कोई अनुषंगी कंपनी / संयुक्त उद्यम / एसोसिएट कम्पनी नहीं है।

लेखापरीक्षक

सांविधिक लेखापरीक्षक :

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एण्ड एजी) ने मैसर्स पुरूषोथमन भूटानी एण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार, नई दिल्ली को कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है जिन्होंने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु कंपनी के लेखों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है **(अनुबंध–ख)**। शेयरधारकों को लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में कोई अर्हता शामिल नहीं है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एण्ड एजी) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु कंपनी के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की थी। वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कोई महत्वपूर्ण टिप्पणी नहीं की है।

सचिवालयीन लेखापरीक्षा :

वर्ष के दौरान कंपनी के बोर्ड ने मैसर्स पीजी एण्ड एसोसिएटस, कंपनी सचिव (सीपी संख्या – 6065), पूर्णकालिक प्रैक्टिस में होने वाले कंपनी सचिव, को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत वित्त वर्ष 2015–16 हेतु सचिवालयीन लेखापरीक्षा करने के लिए नियुक्त किया था। सचिवालयीन लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ **अनुबंध–ग** के रूप में संलग्न है। शेयरधारकों को लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में कोई अर्हता शामिल नहीं है।

ऊर्जा संरक्षण, तकनीक आत्मसात करना, अनुसंधान और विकास तथा निर्यात और विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय

कंपनी ने विशाखापट्नम केवर्न को चालू किया है और मंगलौर तथा पादुर में केवर्नों को अभी चालू किया जाना है। कंपनी के पास ऊर्जा संरक्षण और तकनीक आत्मसात किए जाने के संबंध में प्रकाशित की जाने वाली कोई जानकारी नहीं है।

कंपनी का वर्ष के दौरान कोई विदेशी मुद्रा अर्जन नही था। तथापि, इसमें समीक्षाधीन अवधि के दौरान अपने व्यापार क्रियाकलापों हेतु कुल 5.85 लाख रूपये की विदेशी मुद्रा का उपयोग किया है।

आंतरिक नियंत्रण

कंपनी के पास आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है जो सभी आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता के स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन और प्रचालन तथा व्यापार यूनिटों के आंतरिक प्रक्रियाओं तथा प्रक्रियाविधियों और साथ ही साथ नियामक तथा विधिक आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है।

कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकना

कंपनी ने कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निषेध तथा निवारण और उससे संबंधित या प्रासंगिक

सभी मामलों और 'कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध तथा समाधान) अधिनियम, 2013' में समाविष्ट सभी पहलुओं को कवर करने वाली एक नीति बनाई है। वर्ष के दौरान कंपनी को उक्त अधिनियम के अंतर्गत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी अथवा निवेश के ब्यौरे

कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अंतर्गत कवर होने वाले किसी ऋण अथवा गारंटी को नहीं दिया है।

संबंधित पक्ष कारोबार

सभी संबंधित पक्ष कारोबार ओआईडीबी द्वारा इक्विटी पूंजी प्रतिभागिता तथा अस्थायी अग्रिम और आईएसपीआरएल के सीईओ एवं एमडी को प्रबंधकीय पारिश्रमिक के भुगतान तक ही सीमित थे।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप धारा (3) के खंड(ग) के अंतर्गत अपेक्षानुसार आपकी कंपनी का निदेशक मंडल एतद्वारा निम्नानुसार बताता है तथा पुष्टि करता है :

1. वित्त वर्ष हेतु वार्षिक लेखों की तैयारी में प्रयोज्य लेखांकन मानदंड का अनुसरण किया गया है और तत्संबंधी महत्वपूर्ण सामग्री विचलन के बारे में उचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं;

2. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है तथा उन्हें निरंतर लागू किया है और ऐसे निर्णय लिए हैं और अनुमान लगाए हैं, जो इतने युक्तिसंगत और विवेकपूर्ण हैं, कि वे 31 मार्च, 2016 के अनुसार कंपनी की कार्य स्थिति तथा उस वर्ष के लिए कंपनी के लाभ की वास्तविक तथा उचित झलक प्रस्तुत करते हैं;

3. निदेशकों ने पूरी क्षमता एवं सत्यनिष्ठा से परिसंपत्तियों के संरक्षण और जाल–साजी के निवारण तथा उसका पता लगाने और अन्य अनियमितताओं के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखा रिकार्ड के रखरखाव के लिए उचित उपाय किए हैं;

4. निदेशकों ने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु वार्षिक लेखे को एक 'अनवरत संबंध' के आधार पर तैयार किया है;

5. कंपनी के निदेशकों ने सभी लागू विधियों के प्रावधानों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियों को विकसित किया है और ये प्रणालियां पर्याप्त थी तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।

निदेशक मंडल

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में वर्तमान में 7 अंशकालिक गैर–कार्यपालक निदेशक (पदेन) और एक पूर्णकालिक सीईओ एवं एमडी है, विवरण नीचे दिए गए हैं :

(i) श्री के.डी.त्रिपाठी, सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – अध्यक्ष (डीआईएन 07239755)

(ii) श्री अनंत कुमार सिंह, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – अपर निदेशक (डीआईएन 07302904)

(iii) श्री ए. पी. साहनी, अपर सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – निदेशक (डीआईएन 03359323)

(iv) श्री संजीव मित्तल, सचिव, ओआईडीबी – निदेशक (डीआईएन 07479317)

(v) श्री संदीप पौण्डरिक, संयुक्त सचिव (आर) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – निदेशक (डीआईएन 01865958)

(vi) श्री राजन के.पिल्लै, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक (डीआईएन 06799503)

(vii) श्रीमती संगीता गैरोला, स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन 07172316)

(viii) श्री एस. बी. अग्निहोत्री, स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन 03390553)

01 अप्रैल, 2015 के पश्चात से निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :

(i) श्री सौरभ चन्द्रा, अध्यक्ष (30.04.2015 से निदेशक नहीं रहे)

(ii) श्री एल.एन.गुप्ता, निदेशक (05.06.2015 से निदेशक नहीं रहे)

(iii) डा. एस. सी. खूंटिया, निदेशक (15.06.2015 से निदेशक नहीं रहे)

(iv) श्री यू. पी. सिंह, निदेशक (07.03.2016 से निदेशक नहीं रहे)

(v) श्री के. डी. त्रिपाठी (17.07.2015 से नियुक्त)

(vi) श्री अनंत कुमार सिंह (08.10.2015 से नियुक्त)

(vii) श्री संजीव मित्तल, निदेशक (29.03.2016 से नियुक्त)

आभिस्वीकृति

आपका निदेशक मंडल भारत सरकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और तेल उद्योग विकास बोर्ड से प्राप्त मूल्यवान मार्ग–दर्शन तथा सहयोग के प्रति आभार प्रकट करता है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(संदीप पौण्डरिक)
निदेशक
(डीआईएन 01865958)

(राजन के.पिल्लै)
सीईओ एवं एमडी
(डीआईएन 06799503)

दिनांक : 26 सितम्बर, 2016
स्थान : नई दिल्ली

अनुबंध – क
फार्म सं. एमजीटी.9
वार्षिक विवरणी का उद्धरण
31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के अनुपालन में

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरे :

i) सीआईएन : यू63023डीएल2004जीओआई126973

ii) पंजीकरण तिथि 16 जून, 2004

iii) कंपनी का नाम – इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड

iv) कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी – गैरसूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कंपनी

v) पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क ब्यौरे – 301, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तीसरा तल, बाबर रोड, नई दिल्ली–110001 टेलीफोन : 0120–2594641 फैक्स : 0120–2594643

vi) क्या सूचीबद्ध कंपनी है – नहीं

vii) रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट का नाम, पता तथा संपर्क ब्यौरा, यदि कोई हो – लागू नही

II. कंपनी के क्रियाकलाप

विशाखापट्टनम, मंगलौर और पादुर में सामरिक खनिज तेल भंडारण केवर्नों का निर्माण, केवर्नों का प्रचालन और केवर्न में खनिज तेल की अभिरक्षा।

क्रम सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम तथा विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का प्रतिशत
1.	खनिज तेल केवर्न सुविधाओं का निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण	43900 52109	--
2.	--	--	--
3.	--	--	--

III. धारक कंपनी के ब्यौरे

क्रम सं.	कंपनी का नाम और पता	पैन नम्बर	धारक कंपनी/अनुषंगी कंपनी/एसोसिएट कंपनी	धारित शेयरों का %	लागू खंड
1.	तेल उद्योग विकास बोर्ड	AAAJO0032A	धारक	100	2(46)

IV. शेयर धारित पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के तौर पर इक्विटी शेयर पूंजी ब्यौरा)

i) श्रेणी–वार शेयरधारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या (संख्या करोड़ में)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (संख्या करोड़ में)				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रमोटर									
(1) भारतीय									
(क) व्यक्तिगत / एचयूएफ									
(ख) केन्द्र सरकार									
(ग) राज्य सरकार(रें)									
(घ) निगमित निकाय	शून्य	312.73	312.73	100	शून्य	341.88	341.88	100	9.32
(ड़) बैंक / वित्तीय संस्थान									
(च) अन्य कोई									
उप जोड़ (क) (1) :–	शून्य	312.73	312.73	100	शून्य	341.88	341.88	100	9.32
(2) विदेशी									
(क) एनआरआई–व्यक्तिगत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ख) अन्य : व्यक्तिगत									
(ग) निगमित निकाय									
(घ) बैंक / वित्तीय संस्थान									
(ड़) अन्य कोई									
उप जोड़ (क) (2) :–									
प्रमोटर की कुल शेयरधारिता (क)=(क)(1)+ (क)(2)	शून्य	312.73	312.73	100	शून्य	341.88	341.88	100	9.32
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
1. संस्था									
(क) म्यूचुअल फंड									
(ख) बैंक / वित्तीय संस्थान									
(ग) केन्द्र सरकार									
(घ) राज्य सरकार (रें)									
(ड़) उद्यम पूंजी निधि									
(च) बीमा कंपनियां									

शेयरधाराकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या (संख्या करोड़ में)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (संख्या करोड़ में)				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
2)									
(छ) एफआईआई (ज) विदेशी उद्यम पूंजी निधि (झ) अन्य (निर्दिष्ट करे)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप जोड़ (ख) (1) :– 2. गैर–संस्थान (क) निगमित निकाय (i) भारतीय (ii) विदेशी (ख) व्यक्तिगत (i) 1 लाख रूपए तक की नामितिक शेयर पूंजी धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक (ii) 1 लाख रूपए से अधिक की नामितिक शेयर पूंजी धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक (ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)									
उप जोड़ (ख) (2) :–	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख) = (ख)(1) + (ख)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग. जीडीआर और एडीआर हेतु संरक्षक द्वारा धारित शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सकल जोड़ (क+ख+ग)	शून्य	312.73	312.73	100%	शून्य	341.88	341.88	100%	9.32

(ii) प्रवर्तकों की शेयरधरिता

क्र.सं	शेयरधारकों के नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			
		शेयरों की संख्या (करोड़ में)	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में रेहन/ भारग्रस्त रखे गए शेयरों का %	शेयरों की संख्या (करोड़ में)	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में रेहन/ भारग्रस्त रखे गए शेयरों का %	वर्ष के दौरान शेयर धारिता में % परिवर्तन
1	तेल उद्योग विकास बोर्ड*							
	कुल	312.73	100	शून्य	341.88	100	शून्य	9.32

* तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) के अतिरिक्त, कंपनी के 6 अन्य शेयरधारक है जो ओआईडीबी के नामिति है। अन्य 6 शेयरधारकों के नाम नीचे दिए गए हैं :

1. श्री गणेश चन्द्र डोभाल
2. श्री राजेश कुमार सैनी
3. श्री गिरीश चन्द्र
4. श्रीमती ज्योति शर्मा
5. श्री एम.एस. चौहान
6. श्री राजेश मिश्रा

(iii) प्रर्वतकों की शेयरधरिता में परिवर्तन

क्र.सं		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या (संख्या करोड़ में)	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या (संख्या करोड़ में)	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	312.73	100	341.88	100
	वृद्धि/कमी हेतु कारण निर्दिष्ट करते हुए प्रमोटरों की शेयरधारिता में तिथि–वार वृद्धि/कमी (जैसे कि आवंटन/अंतरण/ बोनस/स्वेट इक्विटी आदि) :	<u>शेयरों का आवंटन</u> **i) 22.05.2015** 7.60 करोड़ शेयर **ii) 23.07.2015** 7.25 करोड़ शेयर **iii) 14.12.2015** 2.10 करोड़ शेयर **iv) 28.03.2016** 12.20 करोड़ शेयर			
	वर्ष के अंत में	312.73	100	341.88	100

(iv) दस शीर्ष शेयरधारकों का शेयरधारिता पैटर्न (निदेशक, प्रर्वतक और जीडीआर तथा एडीआर के धारको के अतिरिक्त) :

क्र.सं		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
	10 शीर्ष शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**
	वर्ष के प्रारंभ में	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	वृद्धि / कमी हेतु कारण निर्दिष्ट करते हुए शेयरधारिता में तिथि–वार वृद्धि / कमी (जैसे कि आवंटन / अंतरण / बोनस / स्वेट इक्विटी आदि) :	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	वर्ष के अंत में (अथवा पृथकीकरण की तिथि को, यदि वर्ष के दौरान पृथक हुए हैं तो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(v) **निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों की शेयरधारिता :**

क्र.सं		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
	प्रत्येक निदेशक और केएमपी के लिए	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वृद्धि / कमी हेतु कारण निर्दिष्ट करते हुए शेयरधारिता में तिथि–वार वृद्धि / कमी (जैसे कि आवंटन / अंतरण / बोनस / स्वेट इक्विटी आदि) :	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

V. ऋणग्रस्तता

बकाया / प्रोदभूत ब्याज किंतु भुगतान हेतु देय नहीं सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

	जमा के अतिरिक्त प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता i) मूल धन ii) देय किंतु अदा न किया गया ब्याज iii) प्रोदभूत किंतु देय नहीं ब्याज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन • वृद्धि • कमी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
निवल परिवर्तन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता I) मूल धन ii) देय किंतु अदा न किया गया ब्याज iii) प्रोदभूत किंतु देय नहीं ब्याज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक का पारिश्रमिक

क्र.सं	पारिश्रमिक के ब्यौरे	एमडी / डब्ल्यूटीडी / प्रबंधक का नाम	कुल राशि
		श्री राजन के पिल्लै, कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	
1.	सकल वेतन (क) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभ का मूल्यन (ग) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अनुसार वेतन के एवज में लाभ	 15,71,904/- रूपये 10,77,450/- रूपये शून्य	 15,71,904/- रूपये 10,92,300/- रूपये शून्य
2.	स्टॉक विकल्प		
3.	स्वेट इक्विटी		
4.	कमीशन – लाभ के % के रूप में – अन्य, निर्दिष्ट करें...		
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें		
	कुल (क)	26,49,354/- रूपये	
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा	91,68,800/- रूपये	

VI- निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक
ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

क्र.सं	पारिश्रमिक के ब्यौरे	निदेशक का नाम		कुल राशि
	3 स्वतंत्र निदेशक	श्रीमती संगीता गैरोला	श्री एस.बी. अग्निहोत्री	
	• बोर्ड समिति बैठकों में भाग लेने हेतु शुल्क • कमीशन • अन्य, कृपया निर्दिष्ट् करें	1,60,000/– रूपये	1,20,000/–रूपये	2,80,000/– रूपये
	कुल (1)	1,60,000/– रूपये	1,20,000/–रूपये	2,80,000/– रूपये
	4. अन्य गैर–कार्यकारी निदेशक			
	• बोर्ड समिति बैठकों में भाग लेने हेतु शुल्क् • कमीशन • अन्य, कृपया निर्दिष्ट् करें	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (2)	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (ख) = (1+2)	1,60,000/– रूपये	1,20,000/–रूपये	2,80,000/– रूपये
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	29,29,354/–रूपये		
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा	91,68,800/–रूपये		

ग. एमडी/प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी के अतिरिक्त प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक

क्र.सं	पारिश्रमिक के ब्यौरे	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक			
		सीईओ	कंपनी सचिव	सीएफओ	कुल
1.	सकल वेतन (क) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभ का मूल्य (ग) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अनुसार वेतन के एवज में लाभ	पहले ही तालिक में क्रम सं. ए में कवर किया जा चुका है।	*	*	
2.	स्टॉक विकल्प				
3.	स्वेट इक्विटी				
4.	कमीशन – लाभ के % के रूप में – अन्य , निर्दिष्टि करें...				
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करे				
	कुल				

* सीएफओ और कंपनी सचिव आईएसपीआरएल के कर्मचारी नहीं है और अन्य तेल पीएसयू से प्रतिनियुक्त पर आईएसपीआरएल में आए हुए है।

VII. शास्ति / दंड / अपराधों का शमन

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाई गई शास्ति / दंड / शमन शुल्क के ब्यौरे	प्राधिकरण [आरडी / एनसीएलटी / न्यायालय]	की गई अपील, यदि कोई हो (ब्यौरा दीजिए)
क. कंपनी					
शास्ति	--	--	--	--	--
दंड	--	--	--	--	--
शमन	--	--	--	--	--
ख. निदेशक					
शास्ति	--	--	--	--	--
दंड	--	--	--	--	--
शमन	--	--	--	--	--
ग. अन्य चूककर्ता अधिकारी					
शास्ति	--	--	--	--	--
दंड	--	--	--	--	--
शमन	--	--	--	--	--

अनुबंध – ख

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड के सदस्यों को

यह संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट हमारी दिनांक 9 अगस्त, 2016 तथा 14 सितम्बर, 2016 की पिछली स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अधिलंघन में जारी की जा रही है। संशोधित रिपोर्ट को हमारी पहले की रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा इंगित कुछ कमियों के मद्देनजर जारी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हम यह पुष्टि करते हैं कि पहले व्यक्त किए गए अनुसार मत में कोई परिवर्तन नहीं है और 31 मार्च, 2016 को कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों के आंकड़ों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (''कंपनी'') के संलग्न वित्तीय विवरणों, जिसमें 31 मार्च, 2016 के अनुसार तुलन–पत्र, उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का एक सार तथा अन्य विवरणात्मक जानकारी शामिल है, की लेखापरीक्षा की है।

वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी (लेखांकन) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ी जाने वाली अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट लेखांकन मानक सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य–निष्पादन और नकदी प्रवाहों की वास्तविक तथा उचित स्थिति को दर्शाने वाले वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कम्पनी की परिसंपत्तियों की रक्षा और धोखाधड़ियों तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड़ों का रख–रखाव उचित लेखांकन नीति के चयन तथा उपयोग तर्कसंगत तथा विवेकसम्मत होने वाले निर्णयों तथा अनुमानों का उपयोग और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण भी शामिल है जो लेखांकन मानकों की सटीकता तथा पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा प्रस्तुतिकरण हेतु संगत थे जो एक सही तथा वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करें और जो किसी भौतिक गलत बयानी से मुक्त हों चाहे धोखाधड़ी के कारण हों अथवा चूक के।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपने लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन तथा लेखापरीक्षा मानकों और अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अधीन लेखापरीक्षा में शामिल किए जाने वाले मामलों को ध्यान में लिया है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन संबंधी मानकों के अनुरूप की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम नीतिपूर्ण आवश्यकताओं का अनुपालन करें और अपनी लेखापरीक्षा की योजना तथा निष्पादन इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि क्या वित्तीय विवरण भौतिक गलतबयानी से मुक्त है।

लेखा–परीक्षा में परीक्षण के तौर पर वित्तीय विवरण में दी गई राशियों और घोषणाओं की पुष्टि करने वाले प्रमाणों की जांच का कार्य भी शामिल होता है। चयन की गई प्रक्रियाविधि लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरण की महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का आंकलन शामिल होता है, चाहे धोखाधड़ीवश हुआ हो या त्रुटिवश। उन जोखिम आंकलनों को करने में लेखापरीक्षक, परिस्थितियों में उचित होने वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाविधियों को बनाने के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा उनके उचित प्रस्तुतिकरण के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों पर विचार करता है। लेखापरीक्षण में प्रयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों की उपयुक्तता और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा दिए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन, तथा साथ ही साथ वित्तीय विवरण के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा–परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त है और हमारी वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा मत हेतु एक आधार मुहैया कराता है।

मत

हमारी राय में और हमारी श्रेष्ठ जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण अधिनियम में अपेक्षित सूचना को अपेक्षित तरीके से प्रस्तुत करते हैं और भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2016 को कंपनी की स्थिति का, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के लाभ और नकदी प्रवाह एक सही तथा स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

मामले पर बल दिया जाना

हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के मुख्य उद्देश्य अपनी खनिज तेल माल–सूची का स्वामित्व तथा नियंत्रण करना और महत्वपूर्ण सप्रभुत्व वाले खनिज तेल के अभिरक्षक के रूप में कार्य करना और सरकार के विशिष्ट अनुदेश के अनुसार इसके खनिज तेल भंडार को जारी करने तथा प्रतिस्थापित करने का समन्वय करना है। इस संबंध में संगम ज्ञापन में उचित संशोधन करने के लिए सदस्यों का अनुमोदन लम्बित है। वर्ष के दौरान कंपनी ने विशाखापट्टन में महत्वपूर्ण सप्रभुत्व वाले खनिज तेल को प्राप्त किया है अतः केवर्नो में भण्डारण किए गए खनिज तेल के सामरिक भण्डार का लेखांकन लेखाबहियों में नही किया गया है और उसे वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है –देखें टिप्पणी संख्या 14.4(iv)। हमारा मत इस मामले के संबंध में सशोधित नहीं है।

अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं की सूचना

क. केन्द्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (11) की शर्तों के अनुसार जारी, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") की अपेक्षा के अनुसार, हमने लागू सीमा तक उक्त आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण **अनुबंध–क** में संलग्न किया है।

ख. कंपनी अधिनियम की धारा 143(3) के प्रावधानों के अंतर्गत हम सूचित करते है कि :

क. हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे तथा प्राप्त किये, जो हमारे श्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थे।

ख. हमारी राय में, इन बहियों की हमारी लेखा परीक्षा से प्रतीत होता है कि कंपनी ने कानूनी रूप में अपेक्षित समुचित लेखा बहियों का अनुरक्षण किया है।

ग. इस रिपोर्ट से संबधित तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण लेखा–बहियों के अनुरूप है।

घ. हमारे मतानुसार, उक्त वर्णित एकल वित्तीय विवरण कम्पनी (लेखे) नियम, 2014 के नियम–7 के साथ पढ़ी जाने वाली अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का पालन करते हैं।

ड़. निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों, जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा 31 मार्च, 2016 के अनुसार रिकार्ड में लिया गया था, के आधार पर कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार 31 मार्च, 2016 को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अपात्र नहीं हैं।

च. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावोत्पादकता के संबंध में **'अनुबंध–ख'** में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें। और

छ. कम्पनी (लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई श्रेष्ठ जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार –

i) कंपनी ने इसके वित्तीय विवरणों में इसकी वित्तीय स्थिति पर लम्बित याचिकाओं के प्रभाव को प्रकट किया है – वित्तींय विवरणों की टिप्पणी 14.1 को देखें।

ii) कम्पनी की कोई व्युत्पन्न संविदाओं सहित ऐसी कोई दीर्घावधि संविदाएं नहीं हैं जिसके लिए कोई भौतिक पूर्वानुमान वाले हानियां हों।

iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा तथा बचाव निधि को अंतरित किए जाने की अपेक्षा वाली कोई राशि नहीं थी।

ज. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत उप–निदेशों द्वारा अपेक्षानुसार **'अनुबंध–ग'** में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

कृते पुरूषोथमन भूटानी एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 005484एन

हस्ता./–
सीए बिनय कुमार झा
भागीदार
सदस्यता सं. 509220

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20 सितम्बर, 2016

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध – क

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों पर इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के सदस्यों को समसंख्यक तिथि की लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के पैराग्राफ 5ए में उल्लिखित अनुबंध, हम सूचित करते हैं कि

i) (क) कंपनी ने अचल परिसंपत्तियों के मात्रात्मक ब्योरों तथा स्थितियों सहित पूर्ण ब्यारों को दर्शाने वाले उचित रिकार्डों को रखा है।

(ख) वर्ष के दैरान प्रबधन द्वारा सभी अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है पर सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है जो हमारे मतानुसार कंपनी के आकार और इसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति के संबंध में तर्कसंगत है तथा सूचित किए गए अनुसार ऐसे सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगति नहीं पाई गई थी।

ग) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के रिकार्डों की हमारे द्वारा जांच के आधार पर अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हैं। मंगलौर के संबंध में पट्टा समझौता प्रक्रियाधीन है।

ii) हमें प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार खनिज तेल माल–सूची भारत सरकार के महत्वपूर्ण सप्रभुता वाले भण्डार होने के चलते संदर्भाधीन अवधि के दौरान तर्कसंगत अंतरालों पर प्रबंधन द्वारा उनका भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारे मतानुसार भंडारों की प्रकृति तथा स्थिति के संबंध में भौतिक सत्यापन की आवृति तर्कसंगत प्रतीत होती है।

iii) (क) प्रस्तुत सूचना के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में कवर की गई कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पक्षों को कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण प्रदान नहीं किए हैं। अतः उक्त आदेश का पैराग्राफ 3(3) कंपनी पर लागू नहीं होता और इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं की गई है।

iv) हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर कंपनी ने निवेश, गारंटी और प्रतिभूति प्रावधानों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 तथा 186 का अनुपालन किया है।

v) कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किए हैं और इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेश और अधिनियम की धारा 73 से 76 के प्रावधान तथा कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2015 जनता से स्वीकार जमाओं के संबंध में लागू नहीं होता हैं। इस प्रकार आदेश का पैराग्राफ 3(v) कम्पनी पर लागू नहीं होता है और इसलिए उस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

vi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार केन्द्र सरकार ने कंपनी के उत्पादों हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के अंतर्गत लागत रिकार्डों के रख–रखाव को विहित नहीं किया है। इस प्रकार आदेश का पैराग्राफ 3(vi) कम्पनी पर लागू नहीं होता है और इसलिए उस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

vii) (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा लेखाबहियों एवं रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने सामान्यतः आयकर, मूल्यवर्धित कर, कार्य संविदा कर, सेवा कर, उप कर तथा

अन्य किसी सांविधिक देय सहित अविवादित सांविधिक देयों को आमतौर पर नियमित रूप से उचित प्राधिकारियों के पास जमा करवाया है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किए गए अनुसार विवाद के कारण कंपनी द्वारा आयकर, बिक्री कर तथा रॉयल्टी के निम्नलिखित देयों को जमा नहीं करवाया गया है।

संविधि का नाम	देयों का प्रकृति	राशि (लाख रूपये में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	मंच जहां विवाद लंबित है
आय कर अधिनियम अधिनियम, 1961	आय कर	27	2012–13	सीआईटी (ए), दिल्ली
आय कर अधिनियम अधिनियम, 1961,	आय कर	255	2013–14	सीआईटी (ए), दिल्ली
बिक्री कर	एंट्री कर	38	2010–11	बिक्री कर अपीलीय अधिकरण, बंगलौर
बिक्री कर	एंट्री कर	121	2011–12	बिक्री कर अपीलीय अधिकरण, बंगलौर
बिक्री कर	एंट्री कर	55	2012–13	वाणिज्यिक कर का उप वाणिज्यिक विभाग, बंगलौर
बिक्री कर	एंट्री कर	67	2013–14	वाणिज्यिक कर का उप वाणिज्यिक विभाग, बंगलौर
आंध्र प्रदेश लघु खनिज रियायत नियमावली 1996	रायल्टी	10493	2013–14	खान एवं भूविज्ञान निदेशालय आंध्र प्रदेश

viii) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंक अथवा सरकार से कोई ऋण नहीं लिया है और कोई डिबेंचर भी जारी नहीं किए हैं। इस प्रकार आदेश का पैराग्राफ 3(8) कंपनी पर लागू नहीं होता है और उस पर टिप्पणी नहीं की गई है।

ix) कंपनी ने वर्ष के दौरान ऋण लिखत तथा सावधि ऋण सहित इनिशियल पब्लिक ऑफर अथवा आगे के पब्लिक ऑफर के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई है। इस प्रकार आदेश का पैराग्राफ 3(viii) कंपनी पर लागू नहीं होता है और उस पर टिप्पणी नहीं की गई है।

x) निष्पादित की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी के साथ अथवा कंपनी द्वारा हमारी लेखापरीक्षा के दौरान किसी धोखाधड़ी को पाया या सूचित नहीं किया गया है।

xi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा सत्यापित लेखाबहियों के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान अथवा व्यवस्था कंपनी अधिनियम की अनुसूची–V के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 197 के प्रावधानों द्वारा अधिदेशित अपेक्षित अनुमोदन के अनुसार किया गया है।

xii) कंपनी कोई निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3(xii) लागू नहीं होता है।

xiii) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों और हमारे द्वारा कंपनी के रिकार्डों के परीक्षण के आधार पर संबंधित पक्षों के साथ समव्यवहार अधिनियम की धारा 177 तथा 188 के अनुपालन में है और जहां लागू हों ऐसे समव्यवहारों के ब्योरे लागू लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षानुसार वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए हैं।

xiv) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों और हमारे द्वारा कंपनी के रिकार्डों के परीक्षण के आधार पर कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अधिमानी आवंटन या निजी स्थापन अथवा पूर्णता या आंशिक रूप से भुगतान किए गए परिवर्तनीय डिबेंचरों को जारी नहीं किया है। तदनुसार, पैराग्राफ 3(xiv) कंपनी पर लागू नहीं होता है और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गई है।

xv) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों और हमारे द्वारा कंपनी के रिकार्डों के परीक्षण के आधार पर कंपनी ने निदेशकों अथवा उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकदी संव्यवहार नहीं किया है। तदनुसार, पैराग्राफ 3(xv) कंपनी पर लागू नहीं होता है और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गई है।

xvi) हमारे मतानुसार कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–1A के अंतर्गत पंजीकृत किए जाने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, पैराग्राफ 3(xvi) कंपनी पर लागू नहीं होता है और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गई है।

कृते पुरूषोथमन भूटानी एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 005484एन

हस्ता./–
सीए बिनय कुमार झा
भागीदार
सदस्यता सं. 509220

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 20 सितम्बर, 2016

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध – ख

कंपनी अधिनियम, 2013 ''अधिनियम'' की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड(i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल) के सदस्यगण

हमने 31, मार्च, 2016 के अनुसार **इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड** 'कंपनी' की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों हेतु प्रबंधन का दायित्व

कंपनी का प्रबंधन कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदण्ड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने तथा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है और ऐसा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा संबंधी परामर्शी नोट में बताए गए अनुसार आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन तथा रख–रखाव शामिल होता है जो इसके व्यापार के व्यवस्थित तथा दक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य करें और जिसमें कंपनी की नीतियों का अनुपालन, इसकी परिंपत्तियों की रक्षा, धोखाधड़ी तथा त्रुटियों का निवारण और पता लगाया जाना, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता तथा पूर्णता और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षानुसार विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार किया जाना शामिल है।

लेखापरीक्षक का दायित्वय

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में अपना मत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी परामर्शी नोट ''परामर्शी नोट'' और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन संबंधी मानकों के अनुरूप की है, जिस सीमा तक यह आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर लागू होते है, और दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू होते है, तथा दोनों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थांन द्वारा जारी किया गया है। इन मानकों तथा परामर्शी नोट में यह अपेक्षित है कि हम नीतिपूर्ण आवश्यकताओं का अनुपालन करें और अपनी लेखापरीक्षा की योजना तथा निष्पादन इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थांपित तथा अनुरक्षित किए गए है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक पहलुओं के संबंध में प्रभावी रूप से कार्य कर रहे है।

हमारी लेखा–परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उसकी प्रचालन प्रभावोत्पादकता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्यो प्राप्त करने का कार्य भी शामिल होता है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तींय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आकलन करना कि क्यकि कोई भौतिक कमजोरी मौजूद है, और आकलन किए गए जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन तथा प्रचालन प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन शामिल था। चयन की गई प्रक्रियाविधि लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरण की महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का आंकलन शामिल होता है, चाहे धोखाधड़ीवश हुआ हो या त्रुटिवश।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में प्राप्त लेखा–परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त है और हमारे लेखापरीक्षा मत हेतु एक आधार मुहैया कराता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्ती्य नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वनीयता के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने और सामान्यपतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों हेतु वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए बनाई जाती है। किसी कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां तथा प्रकियाएं शामिल होती है जो कि

1. तर्कसंगत ब्यौरे में रिकार्डों के रख–रखाव, सटीकता और उचित रूप से कंपनी के संव्यवहारों और परिसंपत्तियों के निपटान को दर्शाते हों,

2. इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करते हो कि आवश्यकतानुसार ऐसे संव्यवहारों को रिकार्ड किया जाए जो सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने देते हो, और कंपनी की प्राप्तियों तथा व्यय को केवल कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किया जाता हो,

3. वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव होने वाली कंपनी की परिसंपत्तियों की अप्राधिकृत खरीद, उपयोग या निपटान को रोकने या समय पर पता लगाने के संबंध तर्कसंगत आश्वासन मुहैया करवाते हों।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाओं है, जिसमें सांठ–गांठ या अनुचित प्रबंधन की संभावना, नियंत्रणों को लांघना, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलतबयानी जिसका पता न लग सके, शामिल है। साथ ही भविष्य की अवधियों हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन का प्रक्षेपण इस जोखिम के अधीन होता है कि स्थिंतियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्ति सिद्ध हो सकता है, अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन के स्तर में कमी आ सकती है।

मत

हमारे मतानुसार, कंपनी के पास सभी भौतिक संबंध में एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीयय नियंत्रण 31 मार्च, 2016 को प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट में बताए गए अनुसार आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थांपित वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक नियंत्रण पर आधारित है।

कृते पुरूषोथमन भूटानी एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 005484एन

हस्ता./-
सीए बिनय कुमार झा
भागीदार
सदस्यता सं. 509220

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20 सितम्बर, 2016

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध – ग

31, मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों पर **इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड** के सदस्यों को समसंख्यक तिथि की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पैराग्राफ 5सी में उल्लिखित अनुबंध के अनुसार हम सूचित करते है कि :

1. हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के मुख्य उद्देश्य अपनी खनिज तेल माल–सूची का स्वामित्व तथा नियंत्रण करना और महत्वपूर्ण सप्रभुत्व वाले खनिज तेल के अभिरक्षक के रूप में कार्य करना और सरकार के विशिष्ट अनुदेश के अनुसार इसके खनिज तेल भंडार को जारी करने तथा प्रतिस्थापित करने का समन्वय करना है। वर्ष के दौरान कंपनी ने विशाखापट्टन में महत्वपूर्ण सप्रभुत्व वाले खनिज तेल को प्राप्त किया है अतः केवर्नो में भण्डारण किए गए खनिज तेल के सामरिक भण्डार का लेखांकन लेखाबहियों में नही किया गया है और उसे वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है – देखें टिप्पणी संख्या 14.4 (iv)।

2. बीमांक को प्रस्तुत सूचना अर्थात कर्मचारियों की संख्या, औसत वेतन, सेवानिवृत्ति आय और सेवानिवृत्ति लाभों हेतु प्रावधानों को निकालने के लिए छूट दर, भविष्य की लागत वृद्धि दर के संबंध में बीमांक द्वारा निकाली गई मान्यताओं का सत्यापन लागू नहीं है क्योंकि सभी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर है और उक्त को वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया गया है – वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 2.9 देखें।

3. हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी की तीन स्थलों अर्थात वाइजैग, मंगलौर तथा पादुर में सुविधाएं है। सभी तीन स्थाचनों पर निर्माण कार्यकलापों को करने के लिए कंपनी को भूमि का कब्जा सौंपा गया है। वाईजैग तथा पादुर स्थलों पर पट्टा विलेख पहले की पंजीकृत कर लिए गए है। मंगलौर के संबंध में पट्टा समझौता प्रक्रियाधीन है।

4. हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार ऋण/उधार/ब्याज आदि की छूट व बटटे खाते का, लेखन संबंधी सूचना देने का मामला कंपनी से संगत नहीं है।

5. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीरकरण के अनुसार तृतीय पक्ष के पास कोई वस्तुसूची नहीं है और कोई परिसंपत्ति सरकार तथा अन्य प्राधिकारियों से उपहार/अनुदान के रूप में प्राप्त नहीं हुई है, और मामला कंपनी से संगत नहीं है।

कृते पुरूषोथमन भूटानी एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण सं. 005484एन

हस्ता./–
सीए बिनय कुमार झा
भागीदार
सदस्यता सं. 509220

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20 सितम्बर, 2016

अनुबंध–घ

31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण,
इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड
301 वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर
तीसरा तल, बाबर रोड
नई दिल्ली–110001

हमनें इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (जिसे एतदपश्चात् ''कंपनी'' कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा अच्छे कारपोरेट व्यवहारों के पालन की सचिवालयीन लेखापरीक्षा की है। सचिवालयीन लेखापरीक्षा को इस प्रकार से किया गया था कि उसने हमें कारपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन तथा उस पर अपना मत व्यक्त करने के लिए एक तर्कसंगत आधार मुहैया करवाया था।

सचिवालयीन लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्म तथा दाखिल रिटर्न और कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकाड़ों के हमारे सत्यापन और कम्पनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मुहैया करवाई गई सूचना के आधार पर भी हम एतदद्वारा यह सूचित करते है कि हमारे मतानुसार कम्पनी ने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कम्पनी में उचित बोर्ड प्रक्रिया तथा अनुपालन तंत्र विद्यमान है जिसका तरीका और एतदपश्चात् सूचित करने के तरीके को नीचे दिया गया है:

हमनें इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (''कंपनी'') द्वारा 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्म तथा दाखिल रिटर्न और कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकाड़ों का परीक्षण निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार किया है:

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (''एससीआरए'') और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम तथा उप नियमय; लागू नहीं
(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेश से प्रत्यक्ष निवेश तथा बाहरी वाणिज्यिक ऋणों की सीमा तक उसके अंतर्गत बनाए गए नियम तथा विनियमय; लागू नहीं
(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992(''सेबी अधिनियम'') के अंतर्गत विहित निम्नलिखित विनियम और दिशा–निर्देश :–
    (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का व्यापक अधिग्रहण और टेकओवर) विनियम, 2011; लागू नहीं
    (ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का प्रतिषेध) विनियम, 1992; लागू नहीं
    (ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गमन तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2009; लागू नहीं

(घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशा–निर्देश, 1999; लागू नहीं

(ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गमन एवं सूचीकरण) विनियम, 2008; लागू नहीं

(च) कम्पनी अधिनियम तथा ग्राहकों के साथ कारोबार से संबंधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (किसी इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993; लागू नहीं

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का विसूचीबद्ध करना) विनियम, 2009; लागू नहीं

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनः खरीद) विनियम, 1998ः लागू नहीं

(vi) अन्य लागू कानून

(i) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934

(ii) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974

(iii) तेलक्षेत्र अधिनियम, 1948

(iv) विस्फोटक अधिनियम, 1884

पर्यावरणीय कानून :

(i) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974

(ii) वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981

(iii) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

(iv) हानिकारक पदार्थ (प्रबंधन और संचालन) नियम, 1989

विविध विधियां :

(i) आयकर अधिनियम, 1961, सेवा कर अधिनियम

(ii) कार्यस्थनल पर महिलाओं का यौन उत्पीवड़न (निवारण, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

हम कंपनी द्वारा अन्य लागू अधिनियमों, कानूनी और विनियमों के अंतर्गत अनुपालन हेतु कंपनी द्वारा बनाई गई प्रणालियों तथा तंत्र हेतु कंपनी और इसके अधिकारियों द्वारा दिए गए वेदनों पर निर्भर रहे हैं।

हमनें निम्नलिखित के लागू खंडों के साथ अनुपालन का भी परीक्षण किया है :

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालयीन मानक।

(ii) कम्पनी द्वारा स्टाक एक्सचेंज(जों) के साथ किए गए सूचीकरण समझौते : लागू नहीं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों, मानकों आदि का पालन किया है।

हम आगे सूचित करते हैं कि

कम्पनी के निदेशक मंडल में कार्यपालक निदेशकों, गैर–कार्यपालक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों का उचित

संतुलन हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में होने वाले परिवर्तनों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया था।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठक के कार्यक्रम की पर्याप्त सूचना विस्तृगत कार्यसूची के साथ दी जाती है और बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों पर अतिरिक्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण मांगने एवं प्राप्त करने और बैठक में सार्थक प्रतिभागिता हेतु एक तंत्र विद्यमान है।

कंपनी द्वारा बोर्ड/समिति और शेयरधारकों की बैठकों के रखे गए कार्यवृत्ता के अनुसार हमनें पाया कि सभी निर्णयों को संबंधित बोर्ड/समिति और शेयरधारकों द्वारा बिना किसी विमत टिप्पण के अनुमोदित किया गया था।

हम आगे सूचित करतें है कि कम्पनी में लागू विधियों, नियमों, विनियमों तथा दिशा–निर्देशों की निगरानी तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी के आकार तथा प्रचालनों के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां तथा प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

हम आगे सूचित करते है कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने उक्त संदर्भित विधियों, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों, मानको आदि के अनुपालन में कम्पनी के मामलों पर व्यापक प्रभाव होने वाले किसी कार्यक्रम/कार्रवाई को नहीं लिया है।

कृते पीजी एंड एसोसिएटस

हस्ता./–
(प्रीति ग्रोवर)
कंपनी सचिव
एफसीएस संख्या 5862
सीपी संख्या 6065

स्थान : नोएडा
दिनांक : 30.8.2016

सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण,
इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड
301 वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर
तीसरा तल, बाबर रोड
नई दिल्ली –110001

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. हमने कंपनी की कोई व्यापार और/अथवा वित्तीय लेखापरीक्षा नहीं की है और कंपनी द्वारा उल्लिखित आंकड़ों को सही पाया माना गया है।
2. हमने कंपनी के विपणन, प्रचालन, तकनीकी सेवाओं, कर, वाणिज्य या वित्तीय और लेखांकन से संबंधित मामलों पर कोई मत व्यक्त नहीं किया है।
3. हमने हमें मुहैया करवाए गए सभी दस्तावेजों के हस्ताक्षरों, मौलिकता और पूर्णता की प्रामाणिकता को माना है और इसके अलावा जो मूल नहीं थे, उन्हें उनके तदनुरूपी मूल दस्तावेजों के अनुरूप माना है।
4. हमने सचिवालयीन रिकार्ड़ों की विषय–वस्तु की सत्यता के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित लेखापरीक्षा व्यवहारों तथा प्रक्रियाओं का पालन किया है। परीक्षण आधार पर सत्यापन किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवालयीन रिकार्ड़ों में सही तथ्यों को प्रदर्शित किया जा सके। हम मानते है कि अपनाई गई प्रक्रियाओं तथा व्यवहारों ने हमारे मत हेतु एक तर्कसंगत आधार मुहैया करवाया है।

कृते पीजी एण्ड एसोसिएटस

हस्ता./–
(प्रीति ग्रोवर)
कंपनी सचिव
एफसीएल संख्या : 5862
सीपी संख्या : 6065

स्थान : नोएडा
दिनांक : 30.08.2016

सत्यापित दस्तावेजों की सूची

1. संशोधित संगम ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद।
2. 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु वार्षिक रिपोर्ट।
3. लेखापरीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान हुई निदेशक मंडल, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, सीएसआर समिति की बैठकों के कार्यवृत्त और साथ में संबंधित उपस्थिति रजिस्टर।
4. रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आयोजित आम सभा बैठकों के कार्यवृत्त।
5. सांविधिक रजिस्टर अर्थात
   - निदेशकों तथा केएमपी का रजिस्टर
   - निदेशकों की शेयरधारिता का रजिस्टर
   - अंतरणों का रजिस्टर
   - सदस्यों का रजिस्टर
6. बोर्ड की बैठकों तथा समिति बैठकों हेतु सभी निदेशकों / सदस्यों को प्रस्तुत कार्य–सूची दस्तावेज।
7. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी के निदेशकों से प्राप्त घोषणाएं।
8. लेखापरीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अंतर्गत समय–समय पर कंपनी द्वारा दायर किए गए सभी ई–फार्म और तत्संबंधी संलग्नक।
9. लेखापरीक्षाधीन वर्ष हेतु दायर छमाही सेवा कर रिटर्न।
10. पादुर में सुविधा हेतु श्रेणी क तथा श्रेणी ख पेट्रोलियम के आयात तथा भंडारण हेतु लाइसेंस का नवीकरण।
11. पादुर में सुविधा हेतु 31.03.2018 तक वैध लिक्विड नाइट्रोजन के भंडारण के लाइसेंस का नवीकरण।
12. पादुर स्थल हेतु 31.03.2016 तक वैध प्रेशर वेसल में कम्प्रेसस्ड गैस के भंडारण हेतु लाइसेंस।
13. मंगलौर में श्रेणी क तथा श्रेणी ख पेट्रोलियम के भंडारण हेतु लाइसेंस।
14. मंगलौर में सुविधा हेतु 31.03.2018 तक वैध कम्प्रेसस्ड् गैस के भंडारण हेतु लाइसेंस।
15. विशाखपट्टनम में सुविधा हेतु 31.12.2024 तक वैध पेट्रोलियम के भंडारण हेतु लाइसेंस।
16. पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन, नागपुर द्वारा विशाखापट्टनम में भूमिगत चट्टान केवर्न को पाइपलाइन बिछाने हेतु अनुमोदन।
17. विशाखापट्टनम में सुविधा हेतु 31.03.2018 तक वैध लिक्विड नाइट्रोजन के भंडारण के लाइसेंस का नवीकरण।
18. विशाखापट्टनम सुविधा हेतु फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के अंतर्गत दिनांक 25.08.2015 को फैक्ट्री लाइसेंस प्रदान किया जाना।

वार्षिक लेखे

2015-16

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम लिमिटेड

31 मार्च, 2016 का तुलन पत्र

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2016 को ₹ लाख में	31 मार्च, 2015 को ₹ लाख में
इक्विटी एवं देयताएं			
शेयरधारकों की निधियां			
(क) शेयर पूंजी	3	341,882.47	312,732.46
(ख) आरक्षित और अधिशेष	4	(6,066.01)	(3,144.38)
		335,816.46	**309,588.08**
आवंटन लंबित होने वाली शेयर आवेदन धनराशि	3.3	2,500.00	7,600.00
गैर–वर्तमान देयताएं			
(क) अन्य दीर्घावधि देयताएं	5	1,054.79	17,945.50
वर्तमान देयताएं			
(क) देय व्यापार	6	5,371.99	2,724.83
(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	7	2,881.03	3,370.34
(ग) अल्पावधि प्रावधान	8	187.54	0.00
		8,440.55	6,095.17
कुल		**347,811.81**	**341,228.75**
परिसंपत्तियां			
गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां			
(क) अचल परिसंपत्तियां			
(i) मूर्त परिसंपत्तियां	9क	95,014.44	13,122.16
(ii) चालू पूंजीगत कार्य	9ख	242,369.42	322,626.54
(ख) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	10	2,285.98	2,248.56
		339,669.84	**337,997.26**
चालू परिसंपत्तियां			
(क) नकदी और नकदी तुल्य	11	350.37	2,069.22
(ख) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	12	7,791.60	1,162.27
		8,141.97	3,231.49
		347,811.81	**341,228.75**
वित्तीय विवरणों के संबंध में अतिरिक्त जानकारी	1 से 15		

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते पुरूषोथमन भूटानी एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआरएन न. 005484एन

हस्ता./–
(सीए बिनय कुमार झा)
भागीदार
सदस्यता सं. 509220

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक :

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

ह0/–
(संदीप पौण्डरीक)
निदेशक
(डीआईएन 01865958)

ह0/–
(राजन कै. पिल्लै)
सीईओ एवं एमडी
(डीआईएन 06799503)

ह0/–
(अरूण तलवार)
कम्पनी सचिव

ह0/–
(एस. आर. हास्यागर)
मुख्य वित्त अधिकारी

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम लिमिटेड

31 मार्च, 2016 वर्ष तक का लाभ व हानि विवरण

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2016 को ₹ लाख में	31 मार्च, 2015 को ₹ लाख में
व्यय			
(क) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	9क	2,741.17	449.86
(ख) अन्य व्यय	13	147.23	36.83
(ग) स्टाम्प शुल्क	13क	33.23	73.03
कुल व्यय		**2,921.63**	**559.72**
(हानि) अपवादजनक और असाधारण मदों तथा कर से पूर्व		**(2,921.63)**	**(559.72)**
अपवादजानक मदें :			
स्टाम्प शुल्क का वापिस किया गया प्रावधान			(0.01)
		(2,921.63)	(559.71)
पूर्वावधि व्यय			
परिशोधन और मूल्यह्रास व्यय		-	30.33
कर व्यय :			
वर्तमान वर्ष हेतु वर्तमान कर व्यय		-	-
(हानि) सतत प्रचालनों से		(2,921.63)	(590.03)
(हानि) वर्ष हेतु		(2,921.63)	(590.03)
(हानि) प्रति शेयर (10 रूपये प्रत्येक का)	15.2		
(क) मूलभूत	15.2.क	(0.0900)	(0.0217)
(ख) तनुकृत	15.2.ख	(0.0893)	(0.0217)
वित्तीय विवरणों के संबंध में अतिरिक्त जानकारी	1 से 15		

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते पुरूषोथमन भूटानी एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआरएन न. 005484एन

हस्ता./-
(सीए बिनय कुमार झा)
भागीदार
सदस्यता सं. 509220

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक :

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

ह0/-
(संदीप पौण्डरीक)
निदेशक
(डीआईएन 01865958)

ह0/-
(राजन कै. पिल्लै)
सीईओ एवं एमडी
(डीआईएन 06799503)

ह0/-
(अरूण तलवार)
कम्पनी सचिव

ह0/-
(एस. आर. हास्यागर)
मुख्य वित्त अधिकारी

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का हिस्सा बने नोट्स

नोट	विवरण
1	**कॉर्पोरेट जानकारी** इंडियन स्टेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड को 16 जून, 2004 को आईओसीएल की एक अनुषंगी के रूप में अधिनिगमित किया गया था। कंपनी की समूची शेयरधारिता को 9 मई, 2006 को ओआईडीबी तथा इसके नामितियों द्वारा ले लिया गया था। कंपनी के मुख्य उद्देश्य अपनी खनिज तेल माल–सूची का स्वामित्व तथा नियंत्रण और सरकार के विशिष्ट अनुदेश के अनुसार इसके खनिज तेल स्टाक को जारी करने तथा प्रतिस्थापित करने का समन्वय और भण्डारण, हैंडलिंग, उपचार, वहन, परिवहन, प्रेषण, आपूर्ति, बाजार अनुसंधान, सलाह, परामर्शी, सेवा प्रदाता, ब्रोकर तथा एजेंट, अभियांत्रिकी तथा सिविल डिजाइनरों, संविदाकारों, वारफिंगर, भण्डारगार गृह, उत्पादक, तेल तथा तेल उत्पादों के डीलर, गैस तथा गैस उत्पादों, पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों, ईंधन, प्रिट, रसायन, सभी प्रकार के द्रव्यों और यौगिकों के प्रकार, व्युत्पन्न सामग्रियों, मिश्रणों, तत्संबंधी तैयार किए गए उत्पादों एवं अन्य उत्पादों का व्यापार करना है।
2	**महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां**
2.1	**लेखांकन आधार** वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप ऐतिहासिक लागत परिपार्टी के अंतर्गत लेखांकन के प्रोदभवन आधार पर और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के संदर्भ में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है।
2.2	**अनुमानों का उपयोग** वित्तीय विवरणों को सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन नीतियों के अनुरूप तैयार किया गया है जिसमें प्रबंधन द्वारा ऐसे अनुमान तथा मान्यताओं को लगाना अपेक्षित होता है जो परिसंपत्तियों तथा देयताओं की सूचित राशि और आकस्मिक परिसंपत्तियों तथा देयताओं के प्रकटीकरण और प्रस्तुत वर्षों हेतु राजस्व तथा व्यय के सूचित लेखे को वित्तीय विवरण की तिथि को प्रभावित करते हों।
2.3	**अचल परिसंपत्तियां / अमूर्त परिसंपत्तियां** **अचल परिसंपत्तियां** सभी अचल परिसंपत्तियों को संचित मूल्यह्रास घटा लागत पर बताया गया है। लागत में क्रय मूल्य और वांछित उपयोग हेतु कार्यशील स्थिति में परिसंपत्तियों को लाने के लिए अन्य सभी आरोप्य व्यय शामिल हैं। स्थायी पटटे और साथ ही साथ 99 वर्ष से अधिक के पटटे पर अधिगृहीत भूमि को फ्री–होल्ड भूमि माना जाता है। 99 वर्ष या कम हेतु पटटे पर ली गई भूमि को पटटाधारी भूमि माना जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों को तब मान्यता दी जाती है यदि :

– यह संभावना हो कि इन परिसंपत्तियों पर आरोप्य भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे,

और

– परिसंपत्तियों की लागत / उचित मूल्य को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सके।

2.4 मूल्यह्रास तथा परिशोधन

मूल्यह्रास को सीधी रेखा पद्धति पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट उपयोगी जीवनकाल के अनुसार मुहैया करवाया जाता है। सिवाय भूमिगत केवर्न के जिसका उपयोगी जीवनकाल इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा किए गए प्रामाणीकरण के आधार पर 60 वर्ष माना गया है।

कंपनी ने मूल्यह्रास की सीधी रेखा पद्धति को अपनाया है।

भूमि लागत को वर्षों की संख्या अथवा तत्संबंधी भाग के रूप में पट्टे की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

2.5 राजस्व मान्यता; चालू निर्माण कार्य और व्ययों का आवंटन तथा विनियोजन

(i) सामरिक तेल भंण्डारों हेतु परियोजना मंगलौर तथा पादुर में क्रियान्वयनाधीन है जहां कम्पनी ने वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ नहीं किए हैं। विशाखपटटनम सुविधा की प्रचालन तथा अनुरक्षण लागत भारत सरकार द्वारा देय है। लाभ एवं हानि लेखे को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी अमूर्त परिसंपत्तियों संबंधी लेखांकन मानक–26 का अनुपालन करने के लिए तैयार किया जाता है। अचल परिसंपत्तियों संबंधी लेखांकन मानक 10 के अनुसार परियोजनाओं को आरोप्य न होने वाले व्ययों को लाभ एवं हानि लेखा विवरण को प्रभारित किया जाता है।

(ii) परियोजना विकास, व्यवहार्यता अध्ययन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को शुल्क, परियोजना प्रबंधन परामर्शी प्रभार, भूमि अधिग्रहण व्यय, संविदाकारों को किए गए भुगतान (भूमिगत / भूमि से ऊपर), विज्ञापन व्यय, बीमा प्रीमियम, भूमिगत कार्यों हेतु आपूर्ति किए गए डीजल की लागत आदि हेतु किए गए व्यय को ''चालू निर्माण कार्य'' के रूप में दर्शाया गया है।

(iii) अप्रत्यक्ष / प्रांसगिक व्यय (प्रधान कार्यालय के व्यय सहित) को सभी तीन परियोजनाओं अर्थात विशाखापट्टनम, मंगलौर तथा पादुर को वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय किए गए प्रत्यक्ष व्यय के अनुपात में विनियोजित किया जाता है।

(iv) बीमा दावों को दावे के निपटान पर लेखांकित किया जाता है।

2.6 प्रावधान और आकस्मिकताएं

कंपनी किसी प्रावधान को तब मान्यता देती है जब पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान बाध्यता हो और इसकी अधिक संभावना न हो कि ऐसी बाध्यता के निपटान में संसाधनों के बाहिर प्रवाह की आवश्यकता होगी तथा ऐसी बाध्यता की राशि का विश्वसनीय ढंग से अनुमान लगाया जा सके। प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर नहीं लिया जाता है और उनका निर्धारण वर्ष अंत में बाध्यता की राशि के प्रबंधन के श्रेष्ठ अनुमान के आधार पर किया जाता है। इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि को की जाती है और प्रबंधन के श्रेष्ठ अनुमानों को दर्शाने के लिए इनका समायोजन किया जाता है।

आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण ऐसी संभावित बाध्यताओं के संबंध में किया जाता है जो पहले की घटनाओं से उत्पन्न हुई हों और जिनकी विद्यमानता की पुष्टि पूर्णतः कंपनी के नियंत्रण में न होने वाली भविष्य की घटनाओं की उत्पत्ति या गैर–उत्पत्ति से ही की जा सकती हो। आकस्मिक देयताओं की वर्तमान बाध्यताओं हेतु भी ऐसी देयताओं के संबंध में पुष्टि की जाती है जिसके संबंध में यह संभावना न हो कि संसाधनों का एक बाह्य प्रवाह होगा अथवा बाध्यता की राशि का कोई विश्वसनीय अनुमान न लगाया जा सके। जब कभी ऐसी कोई संभावित बाध्यता या वर्तमान बाध्यता होती है जहां संसाधनों के बाह्य प्रवाह की संभावना सुदूर होती है, किसी प्रकटीकरण या प्रावधान को नहीं किया जाता है।

2.7 परिसंपत्तियों की क्षति

प्रबंधन आवधिक रूप से बाहरी तथा आंतरिक स्रोतों का आकलन करके यह देखता है कि इसका कोई संकेत है कि कोई परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। क्षति तब उत्पन्न होती है जब वहन मूल्य, वर्तमान मूल्य से अधिक हो जाता है और परिसंपत्ति के सतत उपयोग तथा इसके अंततः निपटान से भविष्य के नकदी प्रवाह में वृद्धि होने की प्रत्याशा होती है। व्यय की जाने वाली क्षति हानि का निर्धारण परिसंपत्तियों के निवल बिक्री मूल्य तथा उपर्युक्तानुसार निर्धारित वर्तमान मूल्य से ऊपर वहन मूल्य के आधिक्य पर किया जाता है। किसी क्षति हानि को वसूली योग्य राशि के निर्धारण में प्रयुक्त अनुमान में परिवर्तन होने पर वापिस कर दिया जाता है। किसी क्षति हानि को केवल उस सीमा तक दर्ज किया जाता है कि परिसंपत्तियों की वहन लागत, उस वहन लागत से अधिक नहीं होती है जिसका निर्धारण मूल्यह्रास तथा परिशोधन के निवल हेतु किया जाता, यदि किसी क्षति हानि को मान्यता नहीं दी जाती।

2.8 पट्टे

<u>प्रचालन पट्टे</u>

पट्टा व्यवस्थाएं जहां जोखिम तथा पुरस्कार किसी परिसंपत्ति के स्वामित्व के संबंध में पट्टादाता में निहित हो, उन्हें प्रचालन पट्टों के रूप में मान्यता दी जाती है। प्रचालन पट्टा व्यवस्थाओं के अंतर्गत पट्टा भुगतानों को पट्टा अवधि में एक सीधी रेखा आधार पर चालू निर्माण कार्य शीर्ष के अंतर्गत व्यय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

2.9 कर्मचारी लाभ

आज तिथि के अनुसार कंपनी के पेरोल पर कोई कर्मचारी नहीं है और कंपनी के कार्य को वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्तियों द्वारा चलाया जा रहा है। अतः ''कर्मचारी लाभ'' संबंधी एएस–15 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

2.10 विदेशी मुद्रा संव्यवहार तथा रूपांतरण

विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को संव्यवहार की तिथि को विद्यमान विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है। तुलन–पत्र की तिथि को विदेशी मुद्रा में दर्शायी गई तथा बकाया मौद्रिक मदों को तुलन–पत्र तिथि को विद्यमान विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है। अचल परिसंपत्तियों से संबंधित के अलावा विदेशी मुद्रा लेन–देन संबंधी विनिमय अंतरों को उचित रूप से मान्यता दी जाती है। अचल परिसंपत्तियों की खरीद हेतु किए गए व्यय की तिथि को विनिमय उतार–चढ़ाव संबंधी किसी लाभ/हानि को ऐसी अचल संपत्तियों की वहन लागत के प्रति समायोजन के रूप में लिया जाता है।

2.11 आय पर कर

आय कर में वर्तमान कर और विलंबित कर शामिल होता है। विलंबित कर परिसंपत्तिनयों को समय अंतरों के कारण भविष्य के कर परिणामों हेतु मान्यता प्रदान की जाती है, जो विवेकसम्मत होने के अधीन होता है। विलंबित कर परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन तुलन–पत्र तिथि को अधिनियमित या बाद में अधिनियमित कर दरों का उपयोग करके किया जाता है। एक विवेकसम्मत उपाय के रूप में कंपनी ने विलंबित कर परिसंपत्तिक को मान्यता नहीं दी है।

2.12 प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर आधारभूत अर्जन की गणना इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य अवधि हेतु निवल लाभ और हानि को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या से भाग देकर की जाती है।

प्रति शेयर तनुकृत अर्जन की गणना के प्रयोजन हेतु, इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य अवधि हेतु निवल लाभ और हानि तथा अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या को सभी तनुकृत संभाव्य इक्विटी शेयरों के प्रभावों हेतु समायोजित किया जाएगा।

2.13 पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं आवश्यक हो, वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के साथ मिलान हेतु पुनः समूहबद्ध/पुनःवर्गीकृत किया गया है।

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बने नोट्स

नोट 3 शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को	
	शेयरों की संख्या	₹ लाख में	शेयरों की संख्या	₹ लाख में
(क) प्राधिकृत इक्विटी शेयर 10 रूपये प्रत्येक के	38,325.60	383,256.00	37,240.00	372,400.00
(ख) निर्गत/अभिदत्त और पूर्णतः प्रदत्त शेयर इक्विटी शेयर 10 रूपये प्रत्येक के	34,188.25	341,882.47	31,273.25	312,732.47
कुल	**34,188.25**	**341,882.47**	**31,273.25**	**312,732.47**

विवरण			
विवरण	**प्रारंभिक शेष**	**वर्ष के दौरान नए जारी**	**अंतिम शेष**
	₹ लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में
इक्विटी शेयर			
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष			
– शेयरों की संख्या	31,273.25	2,915.00	34,188.25
– राशि (रूपये)	312,732.47	29,150.00	341,882.47
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष			
– शेयरों की संख्या	23,970.00	7,303.25	31,273.25
– राशि (रूपये)	239,700.00	73,032.47	312,732.47

नोट 3.2 5% से अधिक शेयर धारण करने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयर के ब्यौरे

विवरण	31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को	
	धारित शेयरों की संख्या	शेयरों की उस श्रेणी में धारिता %	धारित शेयरों की संख्या	शेयरों की उस श्रेणी में धारिता %
इक्विटी शेयर				
तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली और उसके नामिति	34,188	100 %	31,273	100 %

नोट 3.3 आवंटन लंबित होने वाली शेयर आवेदन राशि

31 मार्च, 2016 के अनुसार, ओआईडीबी से 31.3.2016 तक प्राप्त राशियों में से 25,00,00,007 रूपए की राशि हेतु इक्विटी शेयर अभी आवंटित किए जाने है और इन्हें ''आवंटन लंबित होने वाली शेयर आवेदन राशि'' के अंतर्गत दर्शाया गया है। कंपनी के पास इन शेयरों के आवंटन को कवर करने के लिए पर्याप्तं प्राधिकृत पूंजी है।

नोट 4 आरक्षित और अधिशेष

विवरण	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
	₹ लाख में	₹ लाख में
(कमी) लाभ और हानि विवरण में		
प्रारंभिक शेष	(3,144.38)	(2,554.35)
जोड़े : (हानि) वर्ष हेतु	(2,921.63)	(590.03)
कुल	**(6,066.01)**	**(3,144.38)**

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बने नोट्स

नोट 5 अन्य दीर्घावधि देयताएं

विवरण	31 मार्च, 2016 को ₹ लाख में	31 मार्च, 2015 को ₹ लाख में
संविदाकारों से रोकी गई – संविदात्मक	1,054.79	4,445.50
एचपीसीएल से अग्रिम	0.00	13,500.00
कुल	**1,054.79**	**17,945.50**

नोट 6 देय व्यापार

विवरण	31 मार्च, 2016 को ₹ लाख में	31 मार्च, 2015 को ₹ लाख में
देय व्यापार	5,371.99	2,724.83
कुल	**5,371.99**	**2,724.83**

नोट 7 अन्य वर्तमान देयताएं

विवरण	31 मार्च, 2016 को ₹ लाख में	31 मार्च, 2015 को ₹ लाख में
अन्य देय		
(i) सांविधिक प्रेषण (रोके गए कर, श्रम उपकर, टीडीएस एवं कार्य संविदा कर)	256.15	211.94
(ii) अन्य (चट्टान निपटान के प्रति समायोजन योग्य राशि)	69.90	85.42
(iii) सुरक्षा जमा / ईएमडी	68.57	16.43
(iv) संविदाकारों से रोका गया – आपूर्ति	2,486.41	3,056.55
कुल	**2,881.03**	**3,370.34**

नोट 8 अल्पावधि ऋण

विवरण	31 मार्च, 2016 को ₹ लाख में	31 मार्च, 2015 को ₹ लाख में
ओआईडीबी	187.54	0
कुल	**187.54**	**0**

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बने नोट्स

नोट 9 अचल परिसंपत्तियां

₹ लाख में

ए.	मूर्त परिसंपत्तियां	कुल संपत्तियां				संचित मूल्यह्रास				शुद्ध कुल संपत्तियां	
		1 अप्रैल, 2015 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान समाप्त	31 मार्च, 2016 को शेष	1 अप्रैल, 2015 को शेष	वर्ष हेतु मुल्यह्रास/ परिशोधन व्यय	संपत्तियों के निपटान पर समाप्त	31 मार्च, 2016 को शेष	31 मार्च, 2016 को शेष	31 मार्च, 2015 को शेष
		₹ लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में
	(क) पट्टाधृत भूमि	15,477.25	1,979.31	1,371.86	16,084.70	2,432.02	463.03	-	2,895.04	13,189.65	13,045.23
	(ख) भवन	-	3,195.16	-	3,195.16	-	309.93	-	309.33	2,885.23	-
	(ग) सड़के तथा पुलिया	-	968.33	-	968.33	-	144.54	-	144.54	823.79	-
	(घ) संयंत्र और मशीनरी	4.32	29,574.87	-	29,579.20	0.00	1,030.19	-	1,030.20	28,549.00	4.32
	(ड़) केवर्न	-	49,517.40	-	49,517.40	-	652.31	-	652.31	48,865.09	-
	(छ) फर्नीचर और फिक्सचर	23.60	576.75	-	600.35	3.28	114.50	-	117.78	482.57	20.32
	(ज) परिवहन वाहन	-	37.72	-	37.72	-	3.53	-	3.53	34.19	-
	(झ) कार्यालय उपकरण	44.58	149.73	-	194.32	10.38	15.43	-	25.81	168.50	34.20
	(झ) कम्प्यूटर	41.29	6.03	-	47.32	23.20	7.70	-	30.90	16.42	18.09
	कुल	**15,591.04**	**86,005.32**	**1,371.86**	**1,00,224.50**	**2,468.88**	**2,741.17**	**-**	**5,210.05**	**95,014.44**	**13,122.16**
	31 मार्च, 2015 के अनुसार	**15,077.97**	**513.07**	**-**	**15,591.04**	**1,988.70**	**480.19**	**-**	**2,468.88**	**13,122.16**	**13,089.27**

बी.	चालू पूंजीगत कार्य (देखे टिप्पणी सं. 9ख)	31 मार्च, 2016 को शेष	31 मार्च, 2015 को शेष
		₹ लाख में	₹ लाख में
	चरण–I		
	– विशाखापट्टनम कैवर्न	98.30	103,612.63
	– पादुर कैवर्न भंडारण परियोजना @	141,958.53	135,356.92
	– मंगलौर कैवर्न परियोजना @	100,312.59	83,656.99
	योग	**242,369.42**	**322,626.54**

@ विनियोजित प्रधान कार्यालय व्यय शामिल हैं।

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बने नोट्स

नोट सं. 9 ख : चालू पूंजीगत कार्य

विवरण	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
	₹ लाख में	₹ लाख में
चालू निर्माण कार्य		
(अनावंटित पूंजीगत व्यय, स्थल पर सामग्री सहित)		
भंडारण चरण – I		
विशाखापट्टनम कैवर्न भंडारण परियोजना		
भूमिगत सिविल कार्य	98.30	49,548.30
भूमि के उपर प्रक्रिया सुविधांए	-	41,280.29
परियोजना प्रबंधन परामर्श	-	10,906.93
अध्ययन एवं सर्वेक्षण	-	172.68
चालू करने से पूर्व/चालू किया जाना – वाइजैग	-	186.75
अन्य परियोजना व्यय	-	324.35
प्रधान कार्यालय व्यय	-	1,193.33
कुल	**98.30**	**103,612.63**
पादुर कैवर्न भंडारण परियोजना		
भूमिगत सिविल कार्य	82,940.69	82,884.98
भूमि के ऊपर प्रक्रिया सुविधाएं	32,649.69	27,706.82
परियोजना प्रबंधन परामर्श	14,305.63	13,619.19
अध्ययन एवं सर्वेक्षण – पादुर	121.68	121.68
चालू करने से पूर्व/चालू किया जाना – पादुर	653.61	114.65
अन्य परियोजना व्यय	1,052.16	919.58
पाइपलाईन	9,068.78	8,959.71
प्रधान कार्यालय व्यय	1,166.29	1,030.31
कुल	**141,958.53**	**135,356.92**
मंगलौर कैवर्न भंडारण परियोजना		
भूमिगत सिविल कार्य	43,706.64	41,215.03
भूमि के उपर प्रक्रिया सुविधांए	29,388.06	24,855.41
परियोजना प्रबंधन परामर्श	10,268.26	10,119.64
अध्ययन एवं सर्वेक्षण – मंगलौर	135.59	135.59
चालू करने से पूर्व/चालू किया जाना – मंगलौर	595.81	128.81
अन्य परियोजना व्यय	282.84	179.61
पाइपलाईन	15,103.56	6,383.38
प्रधान कार्यालय व्यय	831.83	639.52
कुल	**100,312.59**	**83,656.99**
कुल प्रगति पर निर्माण कार्य	**242,369.42**	**322,626.54**

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बने नोट्स

नोट 10 दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम

विवरण	31 मार्च, 2016 को ₹ लाख में	31 मार्च, 2015 को ₹ लाख में
सुरक्षा जमा	502.99	465.57
सरकारी प्राधिकारियों के पास शेष – प्राप्य सेनवैट क्रेडिट	1,440.84	1,440.84
पादुर के प्रति अग्रिम	342.15	342.15
कुल	**2,285.98**	**2,248.56**

नोट 11 नकदी और नकदी तुल्य

विवरण	31 मार्च, 2016 को ₹ लाख में	31 मार्च, 2015 को ₹ लाख में
हस्तगत नकदी	0.20	0.03
बैंको के साथ शेष – ऑटोस्वीप चालू खाता	350.17	2,069.19
कुल	**350.37**	**2,069.22**

नोट 12 अल्पावधि ऋण और अग्रिम

विवरण	31 मार्च, 2016 को ₹ लाख में	31 मार्च, 2015 को ₹ लाख में
पूर्व प्रदत्त व्यय – असुरक्षित, अच्छे समझे गए	80.47	54.77
अन्य ऋण एवं अग्रिम – असुरक्षित अच्छे समझे गए		
अचल परिसंपत्तियों का एचपीसीएल का अनुपातिक अंश	4,517.90	-
भारत सरकार से प्राप्य वाईजैग के ओ एण्ड एम व्यय	778.70	-
टीडीएस प्राप्य *	97.20	128.24
नकदी अथवा वस्तु रूप में वसूली योग्य अग्रिम	194.09	117.67
आरओयू अधिग्रहण और डीजल आपूर्ति के प्रति अग्रिम	1,755.14	72.54
मोबिलाईजेशन अग्रिम	340.18	744.19
शेयरों पर स्टांप ड्यूटी के प्रति अग्रिम	27.92	44.87
कुल	**7,791.60**	**1,162.27**

* 38.10 लाख रूपये का प्राप्य टीडीएस, अदा किए गए अधिक टीडीएस के प्रति है। धन वपिसी टीडीएस सीपीसी को अग्रेषित की गई है।

नोट 13 अन्य व्यय

विवरण	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ लाख में	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ लाख में
विधिक एवं व्यावसायिक शुल्क	0.00	0.01
लेखापरीक्षकों को भुगतान (नीचे टिप्पणी (i) देखें)	2.94	2.73
कार्यालय व्यय	144.29	34.10
कुल	**147.23**	**36.84**

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बने नोट्स

नोट 13(i): लेखापरीक्षकों को भुगतान का ब्यौरा

विवरण	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
	₹ लाख में	₹ लाख में
लेखापरीक्षकों के किए गए भुगतान में शामिल है :–		
'लेखापरीक्षकों के रूप में – सांविधिक लेखापरीक्षा	2.57	1.69
'व्ययों की प्रतिपूर्ति	0.05	0.16
'कंपनी विधि मामलों हेतु	0.00	0.00
आंतरिक लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक	0.32	0.88
कुल	**2.94**	**2.73**

नोट 13क स्टॉप शुल्क व्यय के ब्यौरे

विवरण	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
	₹ लाख में	₹ लाख में
जारी किए गए शेयरों पर स्टॉप शुल्क	33.23	73.03
कुल	**33.23**	**73.03**

नोट 14 वित्तीय विवरणों के संबंध में अतिरिक्त जानकारी

14.1 आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं (प्रावधन न की गई सीमा तक)

विवरण		31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
		₹ लाख में	₹ लाख में
	आकस्मिक देयताएं		
क.	**कंपनी के प्रति दावे जिन्हें त्रृण नहीं माना गया है।**		
	हरित पटटी के विकास और सीएसटी प्रतिपूर्ति के प्रति देयता सहित	611	611
ख.	**लेखाओं में निम्नलिखित विवादित मांगों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि वे कंपनी द्वारा दायर की गई अपीलों के अधीन है**		
	प्रवेश कर मांग जिसमें एमआरपीएल से खरीद किए गए डीजल पर हेतु ब्याज तथा शास्ति शामिल है.		
(i)	वित्त वर्ष 2010–11	38	38
(ii)	वित्त वर्ष 2011–12	121	121
(iii)	वित्त वर्ष 2012–13	55	-
(iv)	वित्त वर्ष 2013–14	67	-
(v)	निर्धारण वर्ष 2012–13 हेतु ब्याज सहित आय कर मांग	27	27
(vi)	निर्धारण वर्ष 2013–14 हेतु ब्याज सहित आय कर मांग	255	-
(vii)	विभागीय नियमों के अनुसार विशाखपटट्नम में उत्खनित सामग्री की बिक्री पर रायल्टी हेतु आंध्र प्रदेश सरकार के खान एवं भूविज्ञान विभाग की मांग		
	वित्त वर्ष 2014–15	10,493	10,493
ग.	**क्षतिपूर्ति और गारंटी**		
(i)	मंगलौर विशेष आर्थिक जोन लिमिटेड को एक क्षतिपूर्ति जारी की गई है, इस प्रकार जारी क्षतिपूर्ति बीमा पॉलिसी से कवर है	2,500.00	2,500
घ.	**पूंजीगत प्रतिबद्धताएं**		
(i)	पूंजी लेखे पर निष्पादन हेतु शेष होने वाली सभी प्रमुख चालू संविदाओं की अनुमानित राशि जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है	20,599	439,570
(ii)	आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयरों तथा अन्य निवेशों पर मांग न की गई देयता	शून्य	शून्य
(iii)	अन्य प्रतिबद्धताएं	शून्य	शून्य
(viii)	जून, 2011 में आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने विशाखापट्टनम परियोजना हेतु 1,03,800 लाख रूपए के संशोधित लागत अनुमानों को अनुमोदित किया था, जबकि पहले अनुमानित लागत 67,183 लाख रूपए (सितम्बकर 2005 के मूल्यों पर) थी। वर्ष 2013–14 के दौरान मंगलौर हेतु संशोधित लागत अनुमान 12,27,00 लाख रूपए थे, जबकि मूल अनुमानित लागत 7,31,72 लाख रूपए की थी और पादुर परियोजना हेतु यह 9,93,28 लाख रूपए की मूल अनुमानित लागत के प्रति 16,93,00 लाख रूपए थी। अगस्त, 2014 में, सरकार ने विशाखापट्टनम हेतु 1,17,835 लाख रूपए के संशोधित लागत अनुमानो को अनुमोदित किया था (एचपीसीएल के साथ संयुक्त स्वामित्व के कारण 9,100 लाख रूपए की आय कर देयता के अतिरिक्त)। एचपीसीएल द्वारा अनुपातिक पूंजीगत अंशदान परियोजना की लागत के संबंध में भंडारण क्षमता के आधार पर है (एचपीसीएल का अंश 0.30 एमएमटी, कुल केवर्न क्षमता 1.33 एमएमटी)।		

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बने नोट्स

14.2 विदेशी मुद्रा में व्यय (समतुल्य भारतीय राष्ट्रीय रूपया)

विवरण	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
	₹ लाख में	₹ लाख में
अन्य मामले (विदेश यात्रा)	4.49	5.50
अन्य मामले (पंप मरम्मकत के दौरान तकनीक पर्यवेक्षीय सेवा के प्रभार के प्रति जारी किया गया भुगतान 1600 यूरो का है)	1.36	37.87

14.3 विदेशी मुद्रा में आय

विवरण	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
	₹ लाख में	₹ लाख में
आय	शून्य	शून्य

14.4 निर्माण की अनुमानित लागत

(i) भूमिगत सिविल कार्यों, उक्त भूमि से ऊपर की प्रक्रिया सुविधाओं, पाइपलाइन कार्यों आदि हेतु हस्ताक्षरित संविदाओं के आधार पर यथा निर्धारित अनुमानित लागतों को परियोजना पर एक समयावधि में अंतिम पूर्णता तक व्यय किया जाना होता है और इसमें भूमि, सामग्री, सेवाओं तथा अन्य संबंधित ऊपरी व्ययों की लागत शामिल होती है।

(ii) तुलन पत्र की तिथि अर्थात 31 मार्च, 2016 के अनुसार चरण। हेतु निर्माण क्रियाकलाप विशाखापट्टनम के लिए पूर्ण हो गया था तथा मंगलौर और पादुर हेतु प्रगति पर है। तुलन पत्र तिथि तक व्यय की गई प्रत्यक्ष लागतों और आवंटन योग्य लागतों को प्रगति पर निर्माण कार्य के अंतर्गत दर्शाया गया है। वर्ष 2015–16 के दौरान किए गए व्यय, जो सीधे परियोजनाओं को आरोप्य नहीं है, को लाभ एवं हानि विवरण पर प्रभारित किया गया है।

(iii) विशाखापट्टनम सुविधा को वर्ष के दौरान चालू किया गया है। खनिज तेल की पहली खेप को उतारने का कार्य 17 जून, 2015 को पूरा किया गया। लेखाबहियों में पूंजीकरण तथा मूल्यगह्रास को इसी तिथि से मान्यता दी गई है। परिसंपत्तियों पर मूल्ययह्रास प्रभार एनईएसडी के आधार पर है।

(iv) विशाखापट्टनम में प्राप्त खनिज तेल महत्वतपूर्ण समप्रभुत्व वाले भंडार है। अद्यतन तिथि को सामरिक केवर्न को भरने को पूरा कर लिया गया है। 1007721.55 एमटी के महत्वरपूर्ण समप्रभुत्व वाले खनिज तेल की अभिरक्षा आईएसपीआरएल के पास है। बिल की गई मात्रा और प्राप्त मात्रा के मध्य् अंतर की समीक्षा विशेषज्ञों की समिति द्वारा की जाएगी और उसे बोर्ड / सरकार को सूचित किया जाएगा।

(v) बोर्ड ने अपनी 44वीं बैठक में एचपीसीएल के साथ विशाखापट्टनम सुविधा के संयुक्त स्वामित्व को अनुमोदित किया। विशाखापट्टनम की अचल परिसंपत्तिकयों की अनुपातिक लागत को एचपीसीएल को अंतरित किया गया है। एचपीसीएल ने मार्च 2016 तक 21000 लाख रूपए का भुगतान किया है। 4517 लाख रूपए की शेष राशि एचपीसीएल से प्राप्य है। एचपीसीएल के साथ संयुक्त स्वाामित्व अनुबंध प्रक्रियाधीन है।

(vi) चार स्थानों यथा राजकोट (2.5 एमएमटी), पादुर (2.5 एमएमटी), चंडीखोल (3.75 एमएमटी) और बीकानेर (3.75 एमएमटी) में 12.5 एमएमटी क्षमता हेतु चरण ।। परियोजनाओं के लिए विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी हो गई है।

14.5 (i) कर्नाटक सरकार के खान और भूविज्ञान विभाग ने कंपनी द्वारा नियमानुसार विभाग को प्रभुत्व शुल्क/रायल्टी के भुगतान के पश्चात पादुर तथा मंगलौर परियोजना में उत्खनित सामग्री को उचित क्रेताओ को निपटान करने की अनुमति दी है।

(ii) चट्टान के मलबे के हटाने के लिए खान और भूविज्ञान विभाग से उत्खनन लाइसेंस अपेक्षित है। तदनुसार, कंपनी ने कर्नाटक सरकार के खान और भूविज्ञान विभाग से उत्खनन लाइसेंस प्राप्त किया है। दिए गए कार्य के आधार पर, पादुर में 2 स्थलों से चट्टानों के निपटान का कार्य किया जा रहा है।

14.6 (i) मंगलौर परियोजना हेतु अपेक्षित भूमि को मंगलौर विशेष आर्थिक जोन लिमिटेड(एमएसईजेडएल) से लिया गया है। सड़क के अपवर्तन हेतु 350 लाख रूपए सहित भूमि की समूची लागत को एमएसईजेडएल को अदा कर दिया गया है और इसे पट्टे की शेष अवधि हेतु पूंजीकृत, परिशोधित किया गया है। वर्ष के दौरान मंगलौर में 44 परियोजना विस्थापित परिवारों को अंतिम एकमुश्त मुआवजे के रूप में 158.40 लाख रूपए का भुगतान किया गया है। एमएसईजेडएल के साथ पट्टा विलेख का निष्पाकदन लंबित है।

(ii) कंपनी ने पादुर परियोजना हेतु 179.2 एकड़ भूमि की खरीद के लिए कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) के पास 3,252.11 लाख रूपए जमा करवाए थे, जिन्हें वर्ष 2008–10 के दौरान अग्रिम के रूप में लेखांकित किया गया है। केआईएडीबी ने पहले ही 138.57 एकड़ भूमि का कब्जा सौंप दिया है, जिसे केआईएडीबी द्वारा निर्दिष्टी किए अनुसार 21 लाख प्रति एकड़ की दर से 2909 लाख रूपए की लागत पर पूंजीकृत किया गया है और इसमें परियोजना विस्थासपित परिवारों को राहत और पुनर्वास सहायता के रूप में अदा की गई राशि शामिल है। 34 लाख रूपए के स्टाम्प शुल्क सहित 342 लाख रूप के शेष को केआईएडीबी के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली शेष भूमि के प्रति अग्रिम माना गया है, जिसे इस प्रयोजन हेतु पर्याप्त समझा गया है।

14.7 शेयर प्रमाणपत्रों पर स्टाम्प शुल्क अदा करने के प्रबंधन के निर्णय के आधार पर, 31 मार्च, 2016 तक 3,57,600 लाख रूपए की प्राधिकृत शेयर पूंजी पर कुल 357.60 लाख रूपए के स्टाम्प शुल्क् का भुगतान किया गया है। वर्ष के दौरान 29150 लाख रूपए के शेयर जारी किए गए है।

14.8 31.03.2012 को शेयर पूंजी में मई 2010 में आवंटित 17,801 लाख रूपए और मई 2011 में आवंटित 47,930 लाख रूपए शामिल है। उक्त आवंटन हेतु शेयर प्रमाणपत्र को आवंटन की तिथि से 90 दिवस के भीतर जारी किया जाना होता है। स्टाम्प् शुल्क के भुगतान का निर्णय बोर्ड द्वारा 31 मार्च, 2011 के पश्चात लिया गया था और बोर्ड के अनुमोदन के अनुपालन में समूची प्राधिकृत पूंजी पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान अक्तूबर 2011 में किया गया था और उक्त दोनों आवंटनों हेतु शेयर प्रमाणपत्र नवम्बर 2011 में जारी किए गए है। आवंटन के 90 दिवस के पश्चात शेयर प्रमाणपत्र जारी करने में विलंब के शमन हेतु एक स्वैच्छिक याचिका अप्रैल 2012 में कंपनी विधि बोर्ड (सीएलबी) के समक्ष दायर की गई थी। बोर्ड ने 47वीं बोर्ड बैठक में सीएलबी याचिका को वापिस लेने को अनुमोदित किया था। सीएलबी द्वारा याचिका को वापिस लेने हेतु आवेदन का निपटान कर दिया गया है।

14.9 कंपनी विकसित की जा रही सुविधाओं में खनिज तेल हेतु भण्डारण सेवाएं मुहैया करवाने का विकल्प तलाश रही है। कंपनी ने जनवरी 2011 में सेवा कर प्राधिकारियों के पास पंजीकरण करवाया था और अतः सेनवैट क्रेडिट हेतु पात्र है। वर्ष 2013–14 के दौरान कंपनी ने पात्र सेनवैट क्रेडिट की पुनः गणना की है तथा उसे लेखांकित किया है जिसकी राशि 31.03.2012 को 3807 लाख रूपए है। सेवा कर रिटर्न को तदनुसार फाइल किया गया है। दिनांक 1.3.2011 की अधिसूचना सं. 3/2011 के परिणामस्वकरूप, कंपनी ने परियोजनाओं के स्थापन हेतु निर्माण क्रियाकलापों के लिए अप्रैल 2011 से सेनवैट क्रेडिट का दावा करना समाप्त कर दिया है।

14.10 वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान, सरकार ने खनिज तेल को भरने के लिए 4,94,800 लाख रूपए की कुल बजटीय सहायता को अनुमोदित किया था। एचपीसीएल और आईओसीएल को विशाखापट्टनम केवर्न को सामरिक खनिज तेल से भरने हेतु 2 वीएलसीसी प्रत्येक की खरीद करने का निदेश दिया गया था। तदनुसार, विशाखापट्टनम सुविधा से संबंधित 2,366.92 लाख रूपए के प्राप्य सिनवैट को वित्तीय वर्ष 2014–15 में वापिस कर दिया गया है।

14.11 मंगलौर में मुक्त व्यापार भंडारण जोन (एफटीडब्ल्यूजेड) के सह–डेवलपर बनने हेतु अनुमोदन वाणिज्य मंत्रालय द्वारा अगस्त, 2010 में प्रदान किया गया था। मंगलौर हेतु सभी अनुमोदन प्राप्त हो गए है। पादुर के संबंध में, वाणिज्य मंत्रालय के अनुमोदन बोर्ड द्वारा एफटीडब्यूजेड बनने के लिए आवेदन को ''सिद्धांततः'' स्वीकार कर लिया गया है।

14.12 टिप्पणी सं. 5 में निर्दिष्ठ 1054.81 लाख रूपए की प्रतिधारण राशि : जिसे संविदाकारों से परिवर्तनशील मदों हेतु किए गए कार्य के 5 % के प्रति रोका गया है, जिसका भुगतान संविदाओं के सफलतापूर्वक पूरा होने के पश्चात जारी किया जाएगा। प्रतिधारण राशि को लेखे में देय अनुसार मुहैया करवाया गया है।

14.13 31 मार्च, 2016 को कंपनी के दिन–प्रतिदिन के कार्य को प्रतिनियुक्ति पर आए 14 कार्मिकों द्वारा किया जा रहा है जिसमें एचपीसीएल (3), ओएनजीसी (2), आईओसीएल (4), बीपीसीएल (2) और एमआरपीएल (1) शामिल है और उनके अवकाश वेतन तथा पेंशन योगदान की प्रतिपूर्ति अनुपातिक आधार पर उनकी संबंधित मूल कंपनियों को तत्संबंधी दावा प्राप्त होने पर की जाती है।

14.14 नकदी अथवा वस्तु रूप में प्राप्य अग्रिम या प्राप्त होने वाला मूल्य जिसमें अन्य कंपनियों से देय राशि शामिल है जिनमें कोई निदेशक, निदेशक या सदस्य है, शून्य रूपए है (गत वर्ष – शून्य रूपए)।

14.15 (i) कंपनी ने वर्ष 2015–16 के दौरान ''स्वीप–इन–स्वीप–आउट'' में उपलब्ध शेष से ब्याज के रूप में 104 लाख रूपए अर्जित किए है जबकि वर्ष 2014–15 के दौरान इससे 82.85 लाख रूपए अर्जित किए गए थे।

(ii) टिप्पणी सं.13 में अन्य व्यय में 95.24 लाख रूपए की राशि शामिल है जिसे वर्ष के दौरान परिशोधित किया गया था जो विशाखापट्टनम सुविधा की सीमा के बाहर एप्रोच सड़क तथा बिजली के खंबों पर किए गए व्यय के चलते है जिस पर कंपनी का कोई नियंत्रण नहीं है।

14.16 पादुर और मंगलौर हेतु खरीदे गए पाइपों को प्रत्येक परियोजना हेतु चिन्हित किया गया है और पादुर हेतु 8,959.71 लाख रूपए तथा मंगलौर हेतु 6,383.38 लाख रूपए की लागू लागतों को संबंधित परियोजना के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

14.17 लेखांकन मानक–10 के अनुसार, कंपनी ने ब्याज के कारण प्राप्त राजस्व और चट्टान निपटान की बिक्री प्राप्तियों को चालू पूंजीगत कार्य से घटाने की नीति को लगातार अपनाया है। वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज की राशि 104 लाख रूपए और चट्टान की बिक्री से प्राप्तियों की राशि 50 लाख रूपए थी।

वर्ष 2008–09 से 2015–16 तक चालू पूंजीगत कार्य से घटाया गया कुल ब्याज और प्राप्तियां 1917 लाख रूपए है।

14.18 **<u>विलंबित कर</u>**

कर योग्य आय के अभाव में, आय कर हेतु किसी प्रावधान को आवश्यक नहीं समझा गया है। इसके अतिरिक्त, विलंबित कर परिसंपत्ति को भी मान्यता नहीं दी गई है क्यों कि भरोसेमंद साक्ष्य के साथ इसकी कोई निश्चिचता

नहीं है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके प्रति विलंबित कर परिसंपत्ति को समायोजित किया जा सके।

14.19 2 अक्टूबर, 2006 से प्रभावी होने वाले 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006' के अनुरूप चिन्हित पक्षों के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय शून्य निर्धारित किए गए है। कंपनी की आपूर्तिकार प्रोफाइल के मद्देनजर इस मामले में देयता शून्य/नगण्य है।

14.20 लघु उद्योग औद्योगिक उपक्रमों को कोई देय बकाया नहीं है। डेबिट/क्रेडिट में संविदाकार/सेवा प्रदाता लेखे, तत्संबंधी पुष्टि, मिलान और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन है।

14.21 कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अंतर्गत एक लेखापरीक्षा समिति गठित की है जिसकी संरचना निम्नवत है :

श्री ए.पी.साहनी, अपर सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – अध्यक्ष

श्री एस.बी.अग्निहोत्री, स्वंतत्र निदेशक – सदस्य

श्रीमती संगीता गैरोला, स्वंतत्र निदेशक – सदस्य

14.22 संविदाकारों के शेष पुष्टि के अधीन है।

नोट 15 : लेखाकंन मानकों के तहत खुलासे

नोट	विवरण			
15.1 15.1क	**संबंधित पक्ष कारोबार** **संबंधित पक्षों के ब्यौरेः**			
	संबंध का विवरण	**संबंधित पार्टियों के नाम**		
	धारक संगठन	तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) कंपनी में 100% इक्विटी धारित की हुई है।		
	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)	(1) श्री राजन के. पिल्लै, सीईओ एवं एमडी को कंपनी के संगम अनुच्छेद के अंतर्गत आईएसपीआरएल के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन का कार्य सौंपा गया है। वह 30.11.2013 को हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड से सेवानिवृत्त हुए। उन्हें 25.02.2014 से प्रबंध निदेशक के रूप में शामिल किया गया है। (2) श्री एस.आर.हस्यागर, सीएफओ, एचपीसीएल से प्रतिनियुक्ति पर आए है। (3) श्री अरूण तलवार, कंपनी सचिव आईओसीएल से प्रतिनियुक्ति पर आए है। **निदेशक मंडल (पदेन)** श्री सौरभ चन्द्रा, अध्यक्ष (07.03.2014 से 30.04.2015 तक) श्री के.डी.त्रिपाठी, अध्यक्ष (17.07.2015 से) श्री सुभाष खूंटिया, निदेशक (09.08.2012 से 15.06.2015 तक) श्री अनंत कुमार सिंह, अपर निदेशक (08.10.2015 से) श्री अजय प्रकाश साहनी, निदेशक (28.03.2015 से) श्री यू.पी.सिंह (28.08.2015 से 07.03.2016 तक) श्री संजीव मित्तल (29.03.2016 से) श्री एल.एन.गुप्ता, निदेशक (17.06.2013 से 05.06.2015 तक) श्री संदीप पौण्डरिक, निदेशक (12.01.2015 से) **स्वतंत्र निदेशक** श्रीमती संगीता गैरोला, निदेशक (28.3.2015 से) श्री सतीश बलराम अग्निहोत्री, निदेशक (28.3.2015 से)		
15.1ख	**31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान संबंधित पक्ष कारोबार के ब्यौरे और 31 मार्च, 2016 को बकाया शेष :**			
	विवरण	**धारक संगठन (ओआईडीबी)**	**केएमपी (सीईओ एवं एमडी)**	**कुल**
		₹ लाख में	**₹ लाख में**	**₹ लाख में**
	वित्त (नकद अथवा वस्तु रूप में ऋण और इक्विवटी अंशदान सहित)	2,714.69 (7,621.04)		2,714.69 (7,621.04)
	* कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति सहित प्रबंधन संविदाएं		21.11 (21.11)	21.11 (-21.11)
	नोट : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं।			

15.1ग	निदेशक मंडल की नियुक्ति पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाती है। निदेशक मंडल को पारिश्रमिक शून्य है (पिछले वर्ष – शून्य)।

15.1घ संबंधित पक्ष के साथ बकाया शेष/कारोबार :

विवरण	तेल उद्योग विकास बोर्ड		हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. *	
	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
	₹ लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में
(i) वर्ष के दौरान कारोबार कंपनी की ओर से किया गया व्यय	27.15	21.04	290.04	141.89
(ii) वर्ष के अंत में शेष	2,687.54	7,600.00	-	15.71
कुल	**2,714.69**	**7,621.04**	**290.04**	**157.60**

* एचपीसीएल से प्रतिनियुक्ति पर आए केएमपी (सीईओ) के वेतन हेतु प्रतिपूर्ति की जानी है।

नोट 15 : लेखाकंन मानकों के तहत खुलासे (जारी)

नोट	विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
		₹ लाख में	₹ लाख में
15.2	**प्रति शेयर अर्जन**		
15.2क	**आधारभूत**		
	(हानि) इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य वर्ष हेतु	(2,922)	(590)
	बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	32,456	27,189
	प्रति शेयर सममूल्य	10	10
	सतत प्रचालनों से प्रति शेयर हानि – आधारभूत	(0.0900)	(0.0217)
15.2ख	**तनुकृत**		
	(हानि) इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य वर्ष हेतु	(2,922)	(590)
	बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या – तनुकृत हेतु	32,725	27,189
	प्रति शेयर सममूल्य	10	10
	सतत प्रचालनों से प्रति शेयर हानि – तनुकृत	(0.0893)	(0.0217)

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

विवरण	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
	₹ लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में
क. प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
असाधारण मदों और कर से पूर्व निवल हानि		(2,921.63)		(590.03)
जोड़ें:				
वर्ष हेतु मूल्याह्रास और परिशोधन	2,741.17		480.19	
		2741.17		480.19
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालन (हानि)		(180.46)		(109.85)
निम्नलिखित हेतु समायोजन :				
अल्पावधि ऋण और अग्रिम	(6,629.33)		770.00	
देय व्यापार	2,647.17		49.54	
अन्य वर्तमान देयताएं	(489.31)		2,235.63	
अल्पावधि प्रावधान	187.54		(0.01)	
		(4,283.94)		3,055.15
प्रचालनों से उत्पन्न नकदी (असाधारण मदों से पूर्व)		(4,464.40)		2,945.30
प्रचालन क्रियाकलापों से / (में प्रयुक्त) निवल नकदी (क)		**(4,464.40)**		**2,945.30**
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	(37.42)		3,262.90	
तृतीय पक्ष को दिया अग्रिम	0.00		0.00	
अचल परिसंपत्तियों की खरीद	(84,633.45)		(513.07)	
चालू पूंजीगत कार्य	80,257.12		(36,986.19)	
		(4,413.75)		(37,499.26)
निवेश क्रियाकलापों से / (में प्रयुक्त) निवल नकदी (ख)		**(4,413.75)**		**(37,499.26)**
ग.वित्तपोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
दीर्घावधि ऋणों की चुकौती	(16,890.70)		(2,954.72)	
दीर्घावधि ऋणों से प्राप्तियां	0.00		0.00	
इक्विटी शेयर के इश्यु से प्राप्तियां	24,050.01		33,875.00	
वित्त–पोषण क्रियाकलापों से / (में प्रयुक्त) निवल नकदी (ग)		7,159.31 **7,159.31**		30,920.28 **30,920.28**
घ. नकदी तथा नकदी तुल्य में निवल वृद्धि / (कमी) (क+ख+ग)		**(1,718.85)**		**(370.77)**
वर्ष के प्रारंभ में नकदी तथा नकदी तुल्य		2,069.22		2,439.99
वर्ष समाप्ति पर नकदी तथा नकदी तुल्य		**350.37**		**2,069.22**

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते पुरूषोथमन भूटानी एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआरएन न. 005484एन

हस्ता./–
(सीए बिनय कुमार झा)
भागीदार
सदस्यता सं. 509220

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक :

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

ह0/–
(संदीप पौण्डरिक)
निदेशक
(डीआईएन 01865958)

ह0/–
(राजन कै. पिल्लै)
सीईओ एवं एमडी
(डीआईएन 06799503)

ह0/–
(अरूण तलवार)
कम्पनी सचिव

ह0/–
(एस. आर. हास्यागर)
मुख्य वित्त अधिकारी

अनुबंध–ग

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित लेखांकन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसे उनके द्वारा अपनी दिनांक 20 सितम्बर, 2016 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल) के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत एक पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील कागजातों पर किसी पहुंच के बिना की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों के प्रश्नों और कुछ लेखांकन रिकार्ड़ों के चुनिंदा परीक्षण तक सीमित है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आया है जिस पर किसी टिप्पणी अथवा सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर किसी अनुपूरक रिपोर्ट की आवश्यकता हो।

कृते तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

हस्ता./–
(नंदना मुंशी)
वाणिज्य लेखापरीक्षा महानिदेशक
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड–2, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनाक : 22.09.2016

ISPRL

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड

(ओ.आई.डी.बी. की पूर्ण स्वामित्व की सहायक कम्पनी)

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार

प्रधान कार्यालय : ओ.आई.डी.बी. भवन, तीसरी मंजिल, प्लॉट न. 2, सैक्टर-73, नौएडा- 201 301, उ.प्र., भारत
पंजीकृत कार्यालय : 301 वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, तीसरी मंजिल, बाबर रोड़, नई दिल्ली - 110 001

INDIAN STRATEGIC PETROLEUM RESERVES LIMITED

(A wholly owned subsidiary of OIDB)

Ministry of Petroleum & Natural Gas, Govt. of India

Head Office : OIDB Bhawan, 3rd Floor, Plot No.2, Sector - 73, Noida-201301, U.P., INDIA
Registered Office : 301, World Trade Centre, 3rd Floor, Babar Road, New Delhi-110 001